अध्याय III
योजना का कार्यान्वयन

अग्रिम प्राधिकार योजना, मोचन के लिए एए जारी करने और एएच को ईओडीसी जारी करने के संबंध में डीजीएफटी (एमओसीआई) द्वारा क्रियान्वयित की जाती है, जबकि एए के विरूद्ध आयातित इनपुट के साथ-साथ निर्यात के लेखाकरण पर सीमा शुल्क शुल्क के उदग्रहण से छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क पत्तनों पर एए का पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयित किया जाता है लेखापरीक्षा ने एए जारी करने की प्रक्रिया की जांच की और अध्याय 2 में हमारे मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था। इस अध्याय में, लेखा परीक्षा में सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी दोनों द्वारा एए योजना के कार्यान्वयन की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र की पर्याप्तता और क्या दोनों विभाग के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया जाता है, का भी सत्यापन किया गया ।

अभियुक्तियों को निम्नलिखित तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया थाः

- **सीमा शुल्क विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन (पैरा 3.1)**
    - एए की वैधता अवधि से परे शुल्क मुक्त सामानों का आयात; (पैरा 3.1.1)
    - अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना (पैरा 3.1.2);
    - बांड की गैर-निगरानी (पैरा 3.1.3);
    - एए के तहत आईजीएसटी की गलत छूट; (पैरा 3.1.4)
    - अन्य अनियमितताएं (पैरा 3.1.5)
- **डीजीएफटी द्वारा योजना का कार्यान्वयन (पैरा 3.2)**
    - आरए द्वारा एए योजना की गैर/अपर्याप्त निगरानी (पैरा 3.2.1);
    - प्राधिकारों के संयोजन में अनियमितताएं (पैरा 3.2.2);
    - मूल्य वर्धन (वीए) से संबंधित अनियमितताएं (पैरा 3.2.3);

- स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय की वसूली न होना (पैरा 3.2.4);
- मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए एएच द्वारा आवेदन फाइल करना (पैरा 3.2.5);
- आरए द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करने के दौरान अनियमितताएं (पैरा 3.2.6);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 3.2.7)

- **योजना के क्रियान्वयन में अंर्तविभागीय समन्वय (पैरा 3.3)**
  - सूचना साझा करने के लिए ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न करना (पैरा 3.3.1);
  - चूककर्ताओं के विरूद्ध डीजीएफटी और सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई के बीच बेमेल (पैरा 3.3.2);
- निर्यात प्रदर्शन का पता लगाने और चूककर्ता एएच पर कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र में खामिया (पैरा 3.3.3)

3.1 सीमा शुल्क विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन

3.1.1प्राधिकारों की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त सामानों का आयात

एफटीपी के पैरा 4.17 के साथ पठित एचबीपी के पैरा 2.16 के अनुसार एए योजना के तहत आयात की वैधता अवधि एए जारी होने की तारीख से 12 महीने होगी। एचबीपी के पैरा 4.41 (ग) आगे पुर्नवैधीकरण द्वारा प्रत्येक छह महीने के दो विस्तार की अनुमति देता है। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी के एए के आयात के लिए वैधता की अधिकतम अवधि 24 महीने है।

एए के तहत आयात उपयोग संबंधी ईडीआई डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 786 मामलों में 24 महीने की विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद भी आयात की अनुमति दी गई थी, जिसमें ₹ 25.42 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था, इनमें 191 दिनों से 2,156 दिनों तक की देरी हुई थी**(अनुलग्नक 3)**।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि एए की वैधता अवधि को 12 महीने की अवधि से अधिक बढ़ाने के संबंध में मुद्दा डीजीएफटी से संबंधित है और आयात

के लिए प्राधिकार की वैधता की अंतिम तिथि तदनुसार डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क को प्रेषित की जाती है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले दो छमाही एक्सटेंशन पर विचार करने के बाद थे। चूंकि एए की वैधता अवधि निर्दिष्ट है, इसलिए मंत्रालय (डीओआर) वैधता अवधि से परे लाइसेंस डेबिटिंग को प्रतिबंधित कर सकता है (योजना के तहत अनुमति दी गई अधिकतम दो एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए) और कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस की अंतिम तारीख प्रसारित करने के लिए डीजीएफटी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयातों की तिथि पर बिना वैध लाइसेंस के हुए, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है।

अधिकतम 24 महीने की वैधता अवधि से अधिक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना (छ माह के दो विस्तार पर विचार करके) सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल में निगरानी तंत्र में दोष को इंगित करता है।

3.1.2 अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना

एचबीपी के पैरा 4.49 के अनुसार, ईओ की पूर्ति में वास्तविक चूक को डीओआर द्वारा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित/स्वदेश में खरीदी गई सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान करके नियमित किया जा सकता है।

यह देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग निम्नलिखित ₹ 15.47 करोड़ रुपये परित्यक्त शुल्क वाले 70 एए में एएच द्वारा किए गए अतिरिक्त आयातों की निगरानी नहीं कर रहा था जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.1 : अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना

क्र म. सं.	पत्तन का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	एसीसी हैदराबाद	68	1487.88	68 एएच ने ईओ की अवधि समाप्त होने के बाद जो 24 से 1743 दिनों तक था, अप्रयुक्त आयातों पर स्वेच्छा से सीमा शुल्क का भुगतान किया
2	एनसीएच मंगलुरु	1	55.26	एएच ने निर्धारित अवधि के भीतर ईओ के बैठक न होने की पुष्टि की। एससीएन जारी किया और बीजी भुनाकर ₹11.28 लाख की वसूली की गई थी।
3	कोलकाता पत्तन	1	3.71	सीमा शुल्क अपनी प्रणाली में बांड छूट प्रमाण पत्र के कम मूल्य को अपडेट करने में विफल रहा है जिसके कारण फर्म द्वारा बांड/बीजी के निष्पादन के बिना माल का अधिक आयात किया गया।
कुल		**70**	**1546.85**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि वर्तमान में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं को उन मामलों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है जिनमें एएच ने ईओडीसी मोचन/विस्तार/संयोजन आदि के लिए डीजीएफटी को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, और इसलिए सीबीआईसी ने क्षेत्रीय संरचनाओं को एएच को सामान्य नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। ऐसे मामलों में जहां ईओडीसी प्रस्तुत नहीं किया जाता है या डीजीएफटी कार्यालय में ईओडीसी के लिए आवेदन करने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, बांड की शर्त के अनुसार वसूली कार्रवाई सीमा शुल्क द्वारा शुरू की जानी है।

3.1.3 बॉन्ड की निगरानी न करना

3.1.3.1 सीमा शुल्क के साथ निष्पादित बांड़ को देरी से रद्द करना/रद्द न करना

सीबीआईसी के निर्देश (दिसंबर 2015) में कहा गया है कि एए जहां अनुमत ईओ की अवधि समाप्त हो रही है ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों की सहायता से पहले ही पहचान की जा सकती है और आयुक्तों को निर्देश दिया गया था कि वे इसे एक सामान्य परिपाटी बनाएं कि बांड फाईल को प्राप्त करके एक दिन में संसाधित करने के लिए तैयार किया जाए। उक्त अनुदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी हो जानी चाहिए और सीमा शुल्क परिपत्र (मार्च 2010) के अनुसार यादृच्छिक जांच के लिए चयनित नहीं किए गए मामलों में निर्यातक के आवेदन प्राप्त होने की तिथि से सामान्य रूप से 10 दिनों के भीतर बांड/बीजी को निर्यातक को लौटा दिए जाएं। यादृच्छिक जांच के लिए चयनित मामलों के संबंध में, जांच के तहत मामलों को छोड़कर, 30 दिनों के भीतर के मानदंड को अपनाया जाना चाहिए। निम्नलिखित पत्तनों पर लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 1,107 मामलों में से 224 मामलों (20 प्रतिशत) में बांड विलंब से रद्द करने/रद्द न करने के मामले देखे गए:

तालिका 3.2: सीमा शुल्क के साथ निष्पादित बांड की देरी रद्द न करना

क्रम.सं.	पत्तन का नाम	बांड की संख्या	टिप्पणियां
1	चेन्नई समुद्र	155	डीजीएफटी कार्यालय द्वारा ईओडीसी को प्रदान किए जाने के बावजूद रद्द करने के लिए लंबित बांड।
2	एसीसी और आईसीडी हैदराबाद	20	11 एए का पहले ही मोचन किया गया था और अन्य नौ एए के लिए ईओ की अवधि खत्म हो गई थी।
3	एसीसी और आईसीडी बेंगलुरु	49	ईओ की अवधि खत्म होने के बावजूद बांड रद्द नहीं किए गए। आरए बेंगलुरु ने मोचन पत्र जारी किए; हालांकि, बांड रद्द कर दिए गए और 30 से 591 दिनों की देरी के साथ निर्यातकों को वापस कर दिया गया।
	कुल	**224**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि निर्यातक द्वारा बांड रद्द करने के लिए ईओडीसी, शर्त पत्रक के साथ मूल प्राधिकार आदि जैसे दस्तावेजों के साथ बांड रद्द करने के आवेदन के बाद एए के लिए बांड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। निर्धारित समयावधि के बाद भी ईओडीसी न मिलने की स्थिति में, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओ की अवधि समाप्त होने के साठ दिन के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी है। क्षेत्रीय संरचनाओं को बांड का निपटान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की सलाह दी जा रही है।

बांड के निष्पादन का प्राथमिक उद्देश्य एए योजना में वर्णित नियमावली और प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन सुरक्षित करना है; यह अनुपालन न करने के मामले में उचित शुल्क और ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने में अनुप्रासंगिक प्रतिभूति का भी कार्य करता है। सीबीआईसी के निर्देशों में निर्धारित समय पर बांडों को रद्द न किए जाने से परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक एएच की निधियां अवरूद्ध होती है बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार को गलत संकेत भी जाता है।

3.1.3.2 बांड का निष्पादन न होना/अपर्याप्त निष्पादन

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015) में आयातको द्वारा ऐसी सुरक्षा के साथ एए योजना के तहत आयातित सामग्री के निपटान के समय बांड

का निष्पादन करने का उपबंध किया गया है, जो उसे ऐसे आयातों पर उदग्राही शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। मर्चेंट नियातकों (एमई) को जारी किए गए एए के संबंध में, बांड को एमई और उसके सहायक विनिर्माता द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क विभाग के साथ निष्पादित 2,496 बांडों की समीक्षा की, जिसमें निम्नलिखित छह पत्तनों में 119 मामलों (4.76 प्रतिशत) में बांड के अपर्याप्त निष्पादन/निष्पादन न होने का पता चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: बांड का निष्पादन न होना/अपर्याप्त निष्पादन

क्रम. सं.	**पत्तन का नाम**	**मामलो की संख्या**	**टिप्पणियां**
1	एसीसी बेंगलुरु	51	आवंटित अवधि के भीतर ईओ की पूर्ति न करने के मामलों की पहचान करने और ₹ 2,638.19 करोड़ की राशि के बचत-शुल्क के बदले बांड डेबिट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। एनसीएच, मेंगलुरु ने अब तक पत्र जारी करते हुए ₹ 46.73 करोड़ की शुल्क के साथ दस मामलों के संबंध में एएच से विवरण मांगा है।
2	आईसीडी बेंगलुरु	15	
3	एनसीएच मंगलुरु	11	
4	जेएनसीएच मुंबई	4	मुंबई सीमा शुल्क द्वारा आरए मुंबई द्वारा जारी एए के लिए दिए गए बीजी आंकड़ों के प्रति-सत्यापन से पता चला है कि ₹ 10 करोड़ से अधिक के सीआईएफ मूल्य वाले 4 एए के संबंध में कोई बीजी नहीं लिया गया था, भले ही इन एएच द्वारा कोई निर्यात प्रभावित नहीं किया गया हो।
5	तूतीकोरिन पतन	22	आरए चेन्नई और कोयंबटूर से संबंधित पंजीकृत 314 बांडों में से 22 में बांडों की वैधता समाप्त हो गई।
6	आईसीडी जेआरवाई कानपुर	16	आरए कानपुर और वाराणसी से संबंधित 56 लाइसेंसों में से 16 मामलों में प्रत्येक आयात के विरुद्ध बांड राशि ठीक से डेबिट नहीं की गई। एक उदाहरण में, मेसर्स एडी लिमिटेड, कानपुर से संबंधित, लाइसेंस का सीआईएफ मूल्य बांड राशि के बजाय बांड लेजर में दर्ज की गई थी।
	कुल	**119**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों पर कार्रवाई की गई है। एए योजना से संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में बांडों की वैधता के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन बांडों पर तब तक निरंतर देयता होती है जब तक निर्यातक डीजीएफटी द्वारा जारी ईओडीसी या एए योजना को नियंत्रित करने वाली संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना के संदर्भ में ईओ की पूर्ति न होने की स्थिति में आवश्यक सीमा शुल्क जमा नहीं करता है। आरए मुंबई के चार मामलों में

100 प्रतिशत बीजी पर जोर न देने के संबंध में डीओआर ने कहा कि डीजीएफटी द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया था और इसलिए बीजी की मात्रा सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ली गई थी। लेखापरीक्षा की राय में, बांड की वैधता के लिए कोई समय निर्धारित नहीं करना उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जिन प्राधिकारों के लिए बांड निष्पादित किए जाते हैं, उनकी एक निश्चित वैधता अवधि होती है। आरए मुंबई के चार मामलों में, लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई, एएच द्वारा किसी भी निर्यात को प्रभावित न किए जाने के बावजूद कोई बीजी नहीं लिया गया। डीजीएफटी द्वारा बीजी शर्तो को पूरा न करने के कारण प्रतिक्षित है।

3.1.3.3 बाद के आयात के मामलों के लिए विशिष्ट बांड प्रस्तुत न करना

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015) में आयातक द्वारा आयात में बांड प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जिनका आयात यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (शुल्क की छूट) या नियम 19 (2) के तहत पूर्ण रूप से ईओ के निर्वहन के बाद आयात किया जाता है और स्वयं को बाध्यकारी बनाने के लिए, अपने/सहायक विनिर्माता कारखाने में आयातित सामग्रियों का उपयोग शुल्क लगाने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए और क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से या किसी निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से उक्त सामग्रियों की स्वीकृति की तारीख से छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए, कि आयातित सामग्रियों का उपयोग किया गया है, सुविधा प्रदान की जाती है।

एसीसी, आईसीडी हैदराबाद और विशाखापत्तनम सागर पत्तन में यह देखा गया कि 58 एए में 133 बीई में से किसी में भी कोई विशिष्ट बांड प्राप्त नहीं किये गए। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि क्या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया गया था या नहीं, जिसके अभाव में एएच को सीमा शुल्क के लिए बांड प्रस्तुत करने, की आवश्यकता थी शुल्क लगाने योग्य माल के विनिर्माण के लिए आयातित इनपुट का उपयोग करने के लिए स्वयं को बाध्यकारी करना था और क्षेत्राधिकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से या एक निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से मंजूरी की तिथि से छह महीने के भीतर उक्त सामग्री, का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था, कि उक्त सामग्रियों का उपयोग किया गया था। बांड प्रस्तुत किए बिना ऐसे शुल्क मुक्त आयात पर कुल शुल्क ₹ 12.39 करोड़ था।

विशाखापत्तनम सागर पत्तन में इंगित मामलों के संबंध में डीओआर ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि संबंधित आयातकों को पत्र जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें बाद में किए गए आयात के विरुद्ध आवश्यक प्रमाण पत्र/विशिष्ट बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के संबंध में डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) था कि ईओ को पूरा करने की आवश्यकता थी और ईओ पूर्ति से पहले आयात किया गया था जिसमें शर्त (v) लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले, पूरे ईओ की पूर्ति के बाद किए गए आयात से संबंधित थे और इसलिए शर्त (v) लागू थी। जेडीजीएफटी में प्रति-सत्यापन ने इस बात की भी पुष्टि की कि 22 बीई में ईओ की पूर्ति के बाद आयात हुआ था जिसमें मोचन के समय लाइसेंसधारियों द्वारा फाईल एएनएफ 4एफ आवेदनों से स्पष्ट हुआ कि इसमें सीआईएफ मूल्य ₹ 5.39 करोड़ और परित्यक्त शुल्क ₹ 1.99 करोड़ शामिल था।

सिफारिश संख्या 9: सीबीआईसी, ईओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए उचित बांड नवीकरण/रद्दीकरण सुनिश्चित करने के लिए ईओ अवधि की समाप्ति और एएच पर निर्भरता की आवश्यकता का निराकरण करने के लिए एक स्वचालित अलर्ट प्रणाली रखने पर विचार कर सकता है।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि डेटा को एकत्रित किया जा रहा है और बांड और ईओ अवधि समाप्त होने वाले के प्रतिवेदन उपलब्ध है। डीओआर, ईओडीसी डेटा ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ संपर्क में है, जो सीमा शुल्क अधिकारी को इसे प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी को लिखने की आवश्यकता का भी निराकरण करेगा।

जब तक डीजीएफटी से ईओडीसी ऑनलाइन डेटा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि डीओआर, बांड नवीकरण/रद्दीकरण की प्रभावी निगरानी के लिए समयबद्ध तरीके से ईओ की स्थिति का पता लगा सकता है।

3.1.4 एए के तहत आईजीएसटी की गलत छूट

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015), वैध एए लाइसेंस के विरूद्ध आयात पर पूरे सीमा शुल्क की छूट देता है। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 79 (अक्टूबर 2017) में आईजीएसटी को पूर्व-आयात शर्त और भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किए गए ईओ के अधीन छूट दी गई है। पूर्व आयात शर्त यह विचार करती है कि अग्रिम प्राधिकार के तहत आयातित कच्चे माल को भारत में

विनिर्मित अंतिम उत्पादों में शामिल करने के बाद उसे निर्यात किया जाता है। इसके बाद डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 53 (जनवरी 2019) ने आईजीएसटी छूट लेने के लिए पूर्व आयात शर्त हटा दी।

3.1.4.1 पूर्व आयात शर्त पूरी न होने के कारण आईजीएसटी का गलत अनुदान

इओडीसी फाईलों की समीक्षा और सीमा शुल्क पत्तनों से (निर्यात-आयात) ईएक्सआईएम डेटा के प्रति-सत्यापन से पता चला है कि अधिकृत पत्तनों पर सीमा शुल्क विभाग ने आरए (हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद और कोच्चि) द्वारा जारी 29 एए के संबंध में ₹ 8.35 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का उदग्रहण नहीं किया था। आरए ने आईजीएसटी की उदग्रहण न करने की दिशा में बिना किसी मांग के 12 एए (29 एए में से) का मोचन किया, हालांकि एएच ने सीमा शुल्क अधिसूचना में निर्धारित पूर्व-आयात शर्त को पूरा नहीं किया।

आरए अहमदाबाद में अन्य चार मामलों में, पूर्व-आयात शर्त का पालन किए बिना ₹ 2.34 करोड़ की राशि का आयात किया गया था और इसलिए आईजीएसटी का भुगतान किया जाना था। फाईलों में विवरणों के अभाव में आईजीएसटी की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि विशाखापत्तनम और जयपुर सीमा शुल्क ने आयातकों को ब्याज के साथ आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए कहा है। हैदराबाद सीमा शुल्क के संबंध में, ईओ के निर्वहन से पहले सभी 16 प्राधिकार जारी किए गए हैं। सरकारी राजस्व के अनुरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 33 के अनुपालन के लिए फर्मों को पत्र जारी किए गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

3.1.4.2 मानित निर्यात पर आईजीएसटी का गलत अनुदान

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 79 (अक्टूबर 2017) आईजीएसटी को छूट देता है, बशर्ते निर्यात दायित्व को केवल भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाता है। निम्नलिखित तीन पत्तनों में 17 एए में ₹ 14.80 करोड़ की आईजीएसटी छूट का अनियमित अनुदान देखा गया:

तालिका 3.4: मानित निर्यात पर आईजीएसटी का गलत अनुदान

क्र म. सं.	पत्तन का नाम	एए की सं ख्या	आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	जेएनसीएच मुंबई	14	14.66	जेएनसीएच मुंबई में 4 फर्मों के संबंध में 14 एए, जिसमें भौतिक निर्यात को प्रभावित करने की आवश्यक शर्त का अनुपालन किए बिना ₹ 14.66 करोड़ की आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया था। एक फर्म मेसर्स एई लिमिटेड ने जेएनसीएच मुंबई के साथ कुल आठ एए पंजीकृत की थीं और ₹ 26.80 करोड़ की आईजीएसटी छूट प्राप्त की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने आठ में से केवल दो एए पर टिप्पणी की जिसमें ₹ 11.87 करोड़ की आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया था जिसकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।
2	विशाखाप ट्टनम सीमाशुल्क	1	0.14	ईओडीसी की जांच से पता चला है कि आईजीएसटी छूट का दावा किया गया यद्यपि फर्म द्वारा किए गए सभी निर्यातों को मानित निर्यात[11] माना जाता था और कोई भौतिक निर्यात नहीं किया जाता था। एक बीई में, आईजीएसटी छुट ₹ 14.21 लाख था
3	नवाशेवा मुंबई	2	-	आरए वडोदरा ने मेसर्स एएफ लिमिटेड को दो एए जारी किए और ईओडीसी भी जारी किए, भले ही निर्यात मानित निर्यात के माध्यम से प्रभावित हुआ हो। इसके अलावा, एएच द्वारा अपेक्षित पूर्व-आयात शर्त का भी अनुपालन नहीं किया गया। आरए फाईलों में बीई की कॉपी न मिलने के कारण लेखापरीक्षा में इन बीई में शामिल आईजीएसटी के भुगतान का ब्योरा नहीं मिल सका।
	कुल	**17**	**14.80**	

आयात के समय, सीमा शुल्क विभाग के लिए मानित निर्यात के बारे में पता लगाना संभव नहीं है और इसलिए, यह आरए की जिम्मेदारी है कि वह उन मामलों में आईजीएसटी की वसूली के लिए सीमा शुल्क विभाग को सूचित करे जहां छूट के बाद निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है। आरए द्वारा सीमा शुल्क को इस तथ्य के अवगत नहीं करांने के परिणामस्वरूप ₹ 14.80 करोड़ की आइजीएसटी की वसूली नहीं हुई, जिसे उन उदाहरणों के साथ वसूली किए जाने की आवश्यकता है जहां टिप्पणी किए गए एए का बीई विवरण,

[11] एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.02 के अनुसार, "डीम्ड एक्सपोर्ट्स" उन लेनदेन को संदर्भित करता है जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुफ्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए सभी मामलों में एससीएन जारी किया है। डीजीएफटी ने आरए वडोदरा के संबंध में कहा (फरवरी 2021) था कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

3.1.5 अन्य अनियमितताएं

3.1.5.1 एए योजना से संबंधित अधिनिर्णयन आदेश पारित करने में वित्तीय शक्ति का पालन न करना

अनुमत प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में निर्यात संवर्धन योजनाओं से संबंधित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए वित्तीय शक्तियां सीमा शुल्क मैन्युअल 2018 के पैरा 4.6 के साथ पठित सीमा शुल्क परिपत्र 24 (मई 2011) के तहत निर्दिष्ट हैं।

एसीसी मुंबई में यह देखा गया कि सभी अधिनिर्णयन आदेश सीमा शुल्क सह/उप आयुक्त/शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र (डीईईसी) सेल द्वारा उक्त निर्धारित मौद्रिक सीमाओं का पालन किए बिना पारित किए गए थे। अधिनिर्णित 42 मामलों में से केवल 17 पांच लाख रूपये से कम के थे और इसलिए एसी/डीसी के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर थे। शेष 25 मामलों में, 21 में शुल्क राशि पांच से 50 लाख रूपये तक शामिल थी और इस पर अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा निर्णय दिया जाना चाहिए था और शेष चार मामलों में ₹ एक करोड़ से अधिक की शुल्क राशि शामिल थी और इसलिए सीमा शुल्क आयुक्त के स्तर पर निर्णय दिया जाना चाहिए था।

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि यह मामला सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143 के तहत सरकारी बकाए की वसूली से संबंधित है। अब तक जारी नोटिस, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143 में निर्धारित प्रावधान को लागू करने के लिए सरकारी राजस्व की वसूली तक सीमित है, जिस तरह से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 में निर्धारित किया गया है, जिसके लिए उचित अधिकारी एसी/डीसी है जैसा कि उक्त धारा के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है।

यह उत्तर सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 24 (मई 2011) और सीमा शुल्क मैन्युअल 2018 के अध्याय 13 के पैरा 4.6 के माध्यम से निर्यात संवर्धन योजनाओं

अर्थात अग्रिम प्राधिकार डीएफआईए/निर्यात को पुरस्कृत योजनाएं के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमाओं के विपरीत है।

3.1.5.2 एएएस की शर्तों को पूरा न करने के परिणामस्वरूप ईओडीसी का जारी न होना

आरए बेंगलुरु ने 2015-16 और 2016-17 के दौरान मेसर्स एक्स लिमिटेड, बेंगलुरु को ₹ 10,992.76 करोड़ के सीआईएफ मूल्य और सीटीएच 71131990 के तहत स्वर्ण पदकों का निर्यात करने के साथ सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 71081200 के तहत स्वर्ण बार के आयात के लिए 11 एए जारी किए।

सीमा शुल्क ने एक अलग सीटीएच (71081300) के साथ एए में संशोधन किया ताकि वे निर्यातक द्वारा बताए गए उत्पाद के विवरणों के समझौते में नहीं थे। आरए बेंगलुरु ने ईओडीसी पर कार्रवाई करते हुए पाया कि आयात और निर्यात के आईटीसी (एचएस) कोड लाइसेंस से मेल नहीं खा रहे थे तो मामले को डीजीएफटी को भेज दिया उन्होनें मामले को डीओआर को भेज दिया। डीजीएफटी/डीओआर से स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होना बाकी है। इस बीच, आरए ने चार लाइसेंसों (दो लाइसेंसों के संबंध में दो बार) में संशोधन किया और इस तरह के संशोधन के तथ्य को सीमा शुल्क को सूचित नहीं किया गया, जिन्होंने जारी संशोधनों का सत्यापन किए बिना बीई/एसबी में फर्म द्वारा दावा किए गए सीटीएच के अनुसार आयात और निर्यात की अनुमति भी दे दी। इसके बाद से एएच ने इन सभी मामले में ईओडीसी के लिए आवेदन किया है; हालांकि डीजीएफटी/डीओआर से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे आरए द्वारा कोई मोचन पत्र जारी नहीं किया जा सका है।

डीओआर ने (दिसंबर 2020) कहा कि प्राधिकारों के अनुसार एक ही सीटीएच के तहत आयात की अनुमति दी गई थी और डीजीएफटी द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ के बारे में डीओआर को जानकारी नहीं है। डीजीएफटी के उत्तर प्रतिक्षित है।

3.1.5.3 आयातित वस्तुओं के पुर्ननिर्यात और पत्तनों द्वारा विस्तृत संवीक्षा का चयन न करने जैसी अन्य विसंगतियों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.5: अन्य विसंगतियां

क्र.सं.	पत्तन/आरए का नाम	मुद्दा	मामलो की संख्या	टिप्पणी
1	आरए बेंगलुरु	एए योजना के तहत आयातित वस्तुओं का पुन: निर्यात	3 एए में 26 खराब वस्तुएं	सीमा शुल्क पत्तन के पास पुन: निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं था और पुन: निर्यात के लिए निर्धारित समय पहले ही पारित हो चुका था।
2	एनसीएच मेंगलुरु	एक पत्तन पर पंजीकृत प्राधिकरणों में से कम से कम पांच प्रतिशत में यादृच्छिक जांच सीबीआईसी के निर्देशों (जनवरी 2011 और दिसंबर 2015) के संदर्भ में की जानी है।	-	एनसीएच मंगलुरू अपने पत्तनों पर पंजीकृत एए मामलों की नमूना जांच कर रहे हैं। हालांकि, नमूना जांच कराने पर आईसीडी और एसीसी बेंगलुरु द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

एए योजना के तहत आयातित माल के पुन: निर्यात के संबंध में डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि एससीएन को ब्याज के साथ परित्यक्त शुल्क की वसूली के लिए जारी किया जा रहा है। इस मामले में एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.43ए के संदर्भ में डीजीएफटी द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता है।

नमूना जांच के संबंध में आयातित शुल्क मुक्त इनपुट के प्राधिकार/उपलब्धता पर दर्शाए गए पते की सत्यता की जांच के संबंध में डीओआर ने (फरवरी 2021) कहा कि कुछ मामलों में यादृच्छिक आधार पर नमूना जांच की गई है और इस संबंध में बोर्ड के निर्देशों का पालन किया जाएगा ।

3.2 डीजीएफटी द्वारा योजना का कार्यान्वयन

3.2.1 आरए द्वारा एए योजना की निगरानी न होना/अपर्याप्त निगरानी होना

एचबीपी के पैरा 4.44 (बी) और (एफ) में यह उल्लेखित है कि एएच, ईओ की अवधि समाप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर प्राधिकारों के विरूद्ध एसबी के विवरण को लिंक करके ईओडीसी आवेदनों को ऑनलाइन फाईल करेगा। आरए न केवल एए और शपथ-पत्र की शर्तों को लागू करेगा बल्कि दोषी निर्यातकों को आगे के प्राधिकार से इनकार करने सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा।

आरए द्वारा एए योजना की निगरानी न करना/अपर्याप्त निगरानी पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं-

3.2.1.1 निर्यात दायित्व की निगरानी न करना

यह देखा गया कि जिन मामलों में मोचन अवधि समाप्त हो गई थी, उनका पता लगाने के लिए आरए के साथ कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद नहीं थी जैसा कि निम्नलिखित अभ्युक्तियों से देखा गया था:

तालिका 3.6: निर्यात बाध्यता की निगरानी न करना

क्र.सं.	आरए का नाम	लंबित मामले	टिप्पणियां
1	मुंबई और पुणे	6494	3,981 मामलों (61 प्रतिशत) में, एससीएन अभी जारी किए जाने हैं और कुछ मामलों में कार्रवाई दस वर्षों से अधिक समय से लंबित है। ₹ 654.94 करोड़ का छोडा गया शुल्क उन 44 नमूना मामलों के संबंध में है जिसमें आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि ईओ की अवधि समाप्त हो चुकी थी और मोचन के फाइलिंग की नियत तिथि भी बीत चुकी है।
2	चेन्नई, कोच्चि और कोयंबटूर	78	78 एए में कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिसमें ₹ 56.58 करोड़ का छोड़ा गया शुल्क शामिल है जो एए जारी करने की तारीख से 30 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद और एएच द्वारा निर्यात के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने और न ही ईओपी का कोई विस्तार करने की मांग करने के बाद था। आरए चेन्नई और कोयंबटूर ने न तो कमी पत्र जारी किए और न ही इन एएच के विरुद्ध कोई एससीएन जारी किया।
3	बेंगलुरु	5032	आरए ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की है, या पर्याप्त देरी के साथ कार्रवाई शुरू की है। आरए ने 21 मामलों में एए की शर्तों को लागू नहीं किया था। एमआईएस-4 रिपोर्ट के अनुसार, 1990 मामलों को ईओ पूर्ण/जांच के तहत दस्तावेज के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें से 341 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
4	हैदराबाद और कटक	1126	2006 से मोचन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मामले लंबित थे। नमूना मामलों की जांच से पता चला कि 48 मामलों में, एएच ने निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।
5	दिल्ली और इंदौर	28	निर्धारित अवधि में ईओडीसी आवेदन दाखिल न करने पर एएच के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अन्य 14 मामलों में, सीएलए दिल्ली ने 149 से 688 दिनों तक की देरी के बाद एएच को चेतावनी पत्र जारी किए
6	कानपुर	3	ईओपी की समाप्ति के 23 माह तक किसी भी निर्यात को प्रभावित नहीं करने के लिए आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरए ने निर्यात के विवरण के लिए मांग करते हुए पत्र जारी किया (अक्टूबर 2018) और आठ माह के बाद (जून 2019) डीईएल के तहत ₹ 1.67 करोड़' शुल्क वाला फर्म शामिल है।
7	अहमदाबाद	5	अवैधीकरण पत्रों के प्रति देशी रूप से अधिप्राप्त इनपुट की मात्रा की आरए द्वारा ईमानदारी से निगरानी नहीं की गई जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अवैधीकरण के तहत अनुरोध किए गए सभी इनपुट को अधिप्राप्त करने के बावजूद शेष इनपुट को शून्य के रूप में नहीं दिखाया गया था।

क्र.सं.	आरए का नाम	लंबित मामले	टिप्पणियां
8	कोलकाता,	45	आरए ने ईओ को पूरा करने में विफलता के बावजूद चूककर्ता निर्यातकों को आगे प्राधिकार से इनकार करने या ईओ की अवधि समाप्त होने पर एएच द्वारा प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने सहित प्रावधानों के अनुसार न तो प्राधिकार वचनबद्धता की शर्तों को लागू किया और न ही शास्तिक कार्रवाई शुरू की। आरए जयपुर ने चार मामलों में केवल चेतावनी पत्र जारी किए।
9	चंडीगढ़	3	
10	जयपुर	9	
11	वडोदरा	5	
12	पानीपत	3	
13	अहमदाबाद	2	
कुल		12833	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मुद्दे को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कई मामलों में डीईएल के तहत एससीएन/चेतावनी पत्र जारी करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरए मोचन के लिए दावा करने के लिए एएच पर निर्भर करता है क्योंकि उन मामलों का जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई है, पता लगाने के लिए मौजूदा प्रणाली में आरए के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

सिफारिश संख्या 10: डीजीएफटी को ईओ की निरंतर और नियमित रूप से निगरानी करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। अभी तक, उन मामलों को ट्रैक करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी, और आरए ईओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर थे। एए के संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिए, घरेलू इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में सत्यापन जांच की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने (फरवरी 2021) कहा कि नए चालू किए गए (1 दिसंबर 2020) आईटी मॉड्यूल में, जिन मामलों में ईओपी समाप्त हो गया है, उनका पता लगाया जा सकता है और इओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए आरए को एएच पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अवैधीकरण के संबंध में, यह कहा गया है कि अवैधीकरण सहित सभी संशोधनों को सीमा शुल्क सर्वर के साथ साझा किया जाता है। डीजीएफटी ने डीजी (सिस्टम) के साथ एक रीयल-टाईम डेटा हस्तांतरण प्रणाली स्थापित की है जिसमें आयात और तद्नुरूपी निर्यात के उपयोग की निगरानी निकट रीयल-टाईम में की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा ईओपी की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल के होने में डीजीएफटी के प्रयास की सराहना की गयी है; हालांकि, चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान शामिल अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी, इसलिए इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.1.2 एए योजना के तहत अधिक आयात की निगरानी न करना

आठ आरए में समीक्षा किए गए 1,737 मामलों में से 22 में अधिक आयात की निगरानी न करना देखा गया:

तालिका 3.7: अधिक आयात की निगरानी न करना

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	मुंबई और पुणे	10	55.96	निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा की तुलना में ₹ 3.16 करोड़ सीआईएफ मूल्य वाले माल का अधिक आयात।
2	कोयम्बटूर	1	15.36	मई 2019 में ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद ₹ 52.18 लाख के मूल्य वाले अधिक आयात पर सीमा शुल्क की वसूली के लिए आरए द्वारा कोई डीएल/एससीएन जारी नहीं किया गया था।
3	कोच्चि	3	409.51	₹ 57.05 करोड़ मूल्य वाले 77.28 मीट बीपी लाईट बेरी और 98.86 मीट हल्दी का अधिक आयात।
4	दिल्ली	1	28.31	17550.14 किलोग्राम आयातित माल का अधिक आयात अप्रयुक्त रहा
5	हैदराबाद	1	21.34	एएच ने ईडीआई डेटा में नहीं दर्शाए गए एसबी के प्रति निर्यात का गलत दावा किया लेकिन आरए को प्रस्तुत मोचन आवेदन में दावा किया। इसके अलावा उसी एसबी को अलग आईईसी धारक द्वारा निर्यात करते हुए दिखाया गया है।
6	अहमदाबाद और वडोदरा	6	86.75	एनसी द्वारा तय मानदंडों से अधिक आयात
कुल		**22**	**617.23**	

आरए अहमदाबाद, पुणे और वडोदरा ने ₹ 28.56 लाख की वसूली की सूचना दी। आरए कोयंबटूर और हैदराबाद ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3.2.1.3 एए योजना के तहत पूर्व आयात शर्त की निगरानी न करना

एचबीपी 2015-20 के परिशिष्ट 4जे पूर्व आयात शर्त के साथ निर्दिष्ट इनपुट के लिए ईओ अवधि निर्धारित करता है। पूर्व आयात शर्त में यह संकल्पना की गयी है कि अग्रिम प्राधिकार के तहत आयातित कच्ची सामग्री को भारत में विनिर्मित अंतिम उत्पादों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए, उसके बाद ही निर्यात किया जाए। निम्नलिखित मदों के संबंध में पूर्व-आयात शर्त लगाए बिना आरए द्वारा एए जारी किए गए थे:

तालिका 3.8: आरए द्वारा पूर्व-आयात शर्तों की निगरानी न करना

क्र.सं	इनपुट	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	स्टेनलेस स्टील	अहमदाबाद	2	0.54	एए को पूर्व-आयात शर्त और 18 माह के नियमित ईओपी को पीएन 30/2017 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था जिसमें छह माह के ईओपी के साथ पूर्व आयात शर्त लगाई गई थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध आयात लेजर के साथ एएच द्वारा आरए को प्रस्तुत आयात दस्तावेजों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि फर्म ने आरए के लिए दो आयात परेषण घोषित नहीं किए थे और एक परेषण, हालांकि ईओडीसी फाइल में आरए के लिए घोषित किया गया था, सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के आयात लेजर में नहीं दर्शाया गया था।
2	प्राकृतिक रबर	कोलकाता	35	7.65	एएच, 37 परेषणों के संबंध में पीएन 35/2015 के साथ पठित 39/2018 का उल्लंघन करते हुए पूर्व-आयात शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा और इसलिए आनुपातिक आयात मात्रा पर परित्यक्त सीमा शुल्क वसूली योग्य है। एकबार की छूट का लाभ एए को नहीं मिलेगा क्योंकि लाइसेंस के साथ संलग्न कंडीशन शीट में पूर्व आयात शर्त विशेषतया समर्थित है।
3		मुंबई	2	0.43	
4		हैदराबाद	4	0.95	सभी चार आयात पीएन 39/2018 के बाद किए गए थे और इसलिए पीएन के आंकड़ों तक किए गए आयात/निर्यात के लिए एक बार की छूट का लाभ एएच को नहीं मिलेगा। आरए ने पश्च आयात पहलू का सत्यापन किए बिना मोचन आदेश जारी किया।

क्र.सं	इनपुट	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
5	मसाले	कोच्चि	3	1.23	एएच ने ईओपी की समाप्ति के बाद आंशिक निर्यात किया जिस पर दो एए में ईओ पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाना है। तीसरे एए में पूर्व आयात शर्त पूरी नहीं की गई।
6		मुंबई	1	0.09	90 दिनों की अपेक्षित ईओपी के बजाय 12 माह की ईओ अवधि के साथ एए जारी किया गया था।
7	कीमती धातुएं	मुंबई	2	10.76	एएच के अनुरोध के आधार पर आरए ने शर्तों को हटाया (जून 2018)। संशोधित प्रावधान पूर्वव्यापी स्वरूप के नहीं हैं और मई 2018 से पहले जारी किए गए एए के लिए ईओपी/पूर्व आयात शर्त को हटाना सही नहीं था।
8	फार्मास्यूटिकल उत्पाद	हैदराबाद	1	0.12	पूर्व आयात शर्त पूरी नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क मुक्त आयात हुआ।
कुल			**50**	**21.77**	

डीजीएफटी ने स्टेनलेस स्टील के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि इस मामले की जांच की जा रही है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उनके द्वारा निष्पादित बांड को जारी करते समय सत्यापित किया जाए। आरए कोलकाता के संबंध में टिप्पणी किए गए प्राकृतिक रबड़ के लिए यह कहा गया था कि एए एल्यूमीनियम के लिए जारी किया गया था और न कि प्राकृतिक रबर के लिए; आरए मुंबई के लिए, पूर्व-आयात शर्त का विशेष रूप से अंकन नहीं किया गया था और आरए हैदराबाद के लिए, उत्तर अभी प्रतीक्षित है। आरए कोच्चि के संबंध में टिप्पणी किए गए मसालों के मामले में फर्मों के विरुद्ध मांग नोटिस जारी किए गए हैं और आरए मुंबई के लिए यह कहा गया था कि ईओ को आयात की मंजूरी से 90 दिनों के भीतर पूरा किया, इसलिए ईओडीसी को सही ढंग से प्रदान किया गया था। आरए हैदराबाद के संबंध में टिप्पणी किए गए फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए यह कहा गया था कि मामले की जांच की जा रही है।

डीजीएफटी का जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। आरए कोलकाता में प्राकृतिक रबड़ के लिए एए प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए जारी किए गए थे और आरए मुंबई में, एए में संशोधन शीट संख्या 1 (21 अगस्त 2015) के द्वारा पूर्व आयात शर्त का बाद में अंकन किया गया था। इसी प्रकार, आरए

मुंबई में मसालों के संबंध में डीजीएफटी का उत्तर कि ईओ को 90 दिनों के भीतर पूरा किया गया था, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि आयात फरवरी/मार्च 2018 में किया गया था और निर्यात अगस्त 2018 में प्रभावित हुआ था।

3.2.1.4 ईओपी का अनुचित विस्तार

एचबीपी के पैरा 4.4.2 (ई) के साथ पठित पैरा 4.42 (एफ) में बताया गया है कि आरए द्वारा ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस के भुगतान के अधीन ईओपी की समाप्ति की तारीख से छह माह तक ईओ अवधि के एक विस्तार के लिए एएच के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। एएच को आरए को एक स्व-घोषणा यह कहते हुए प्रस्तुत करनी होगी कि अप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त इनपुट आवेदक के पास उपलब्ध हैं। एचबीपी के पैरा 4.42 (सी) में आरए द्वारा दूसरा विस्तार निर्धारित किया गया है, बशर्ते एएच ने यथानुपात आधार पर मात्रा के साथ-साथ मूल्य में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो।

ईओपी के विस्तार पर अनियमितताएं निम्नलिखित चार आरए में देखी गईं:

(i) आरए अहमदाबाद ने मैसर्स एजी लिमिटेड को दूसरा विस्तार प्रदान किया, भले ही फर्म ने अपने ईओ का केवल 17 प्रतिशत पूरा किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ के शुल्क के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ विस्तार अनियमित रूप से प्रदान किया गया था।

(ii) आरए बेंगलुरु ने मैसर्स एएच लिमिटेड को एए जारी किया (जून 2017), जिसके लिए ईओ की अवधि दिसंबर 2018 में समाप्त हो गई। फर्म ने मई 2019 में विस्तार के लिए आवेदन किया (ईओपी की समाप्ति की तारीख से पांच माह बाद), जिसे इस आधार पर संयोजन फीस लगाए बिना स्वीकृत किया गया था (मई 2019) कि उन्होंने सभी आयातित सामग्रियों का उपयोग किया था और ईओ को किए गए आयात की सीमा तक पूरा किया था। हालांकि, उक्त एचबीपी के तहत यथा अपेक्षित कोई स्व-घोषणा एएच द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(iii) आरए कोलकाता ने मैसर्स एआई लिमिटेड को एए जारी किया जिसमें दूसरा पुनर्वैधीकरण प्रदान करते हुए नियमों के तहत यथा अपेक्षित वास्तविक निर्यात के अनुपात में आयात मात्रा सीमित नहीं थी।

(iv) आरए वाराणसी ने सात मामलों में एए के पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी भले ही वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एएच ने आवेदन किया (**अनुलग्नक 4**)।

लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसे अनुरोध मांगे जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में निर्दिष्ट है (निर्गम तिथि से 12 माह) और प्राधिकार भी आयात/निर्यात (एचबीपी के पैरा 2.18) की तारीख को मान्य होना चाहिए, लेखापरीक्षा की राय में पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा था (फरवरी 2021) कि अनुपालन के लिए फर्मों को पत्र जारी किए गए थे और एफटीपी/एचबीपी में पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस की वैधता एफटीपी/एचबीपी में निर्दिष्ट है और पुनर्वैधीकरण के किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 11: डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के अनुरोधों को प्राधिकार की वैधता अवधि के भीतर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि निर्यात दायित्व के लिए गणना किए गए कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात प्राधिकार की वैद्धता अवधि में ही हों।

3.2.2 प्राधिकारों के संयोजन में अनियमितताएं

एचबीपी के पैराग्राफ 4.38 (xii) में कहा गया है कि संयोजन के बाद, एए को सभी उद्देश्यों के लिए एक प्राधिकार माना जाएगा। एमवीए (15 प्रतिशत) की गणना एए को मिलाने के बाद प्राप्त हुए कुल सीआईएफ/एफओबी के आधार पर की जाएगी और मूल्य या मात्रा में किसी भी कमी को एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.49 के अनुसार नियमित किया जाएगा।

3.2.2.1 प्राधिकारों के संयोजन के कारण अधिक आयात का पता न लगना

एचबीपी के पैरा 4.20 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि एएच ने आयातित से कम मात्रा में इनपुट की खपत की है, तो एएच अप्रयुक्त आयातित सामान पर सीमा शुल्क और उस पर ब्याज का भुगतान करने अथवा अप्रयुक्त रही सामग्री के निर्यात के लिए ईओ अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आरए अहमदाबाद ने मैसर्स एजे लिमिटेड को जारी किए गए पांच एए का संयोजन करने की अनुमति दी। निर्यातक एए के संबंध में किसी भी निर्यात को प्रभावित नहीं कर सका; हालांकि, आयात किया गया जिसके परिणामस्वरूप ईओ की पूर्ति नहीं हुई। यह देखा गया कि ईओडीसी आवेदन में निर्यातक द्वारा घोषित इनपुट में से एक से अधिक आयात को ईओडीसी प्रदान करते समय आरए द्वारा पता नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.05 लाख का शुल्क नहीं लगाया गया था।

इसी तरह, आरए चेन्नई ने फ्लोरस्पार (एसिड ग्रेड) के शुल्क मुक्त आयात के लिए मैसर्स एके इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दो एए जारी किए, जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के निर्यात दायित्व में ₹ 9.78 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था और प्राधिकारों के संयोजन के आधार पर लाइसेंस का मोचन कर दिया गया था (दिसंबर 2019)। समेकित एएनएफ 4एफ की समीक्षा से 567.94 मीट्रिक टन अधिक आयात का पता चला, जिसे एएच द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, विभाग ने अधिक आयात को नियमित करने और ब्याज के साथ ₹ 10.38 लाख की शुल्क राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

डीजीएफटी ने आरए अहमदाबाद के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि मामले की जांच की जा रही है। आरए चेन्नई ने ₹ 2.12 लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी।

3.2.2.2 एए के संयोजन पर संयोजन फीस का कम संग्रहण/संग्रहण न होना

एचबीपी के पैरा 4.38 (vii) के अनुसार, संयोजन करने पर जहां कहीं निर्यात पहले के प्राधिकार के ईओपी से परे है, ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस लगायी जाएगी।

मैसर्स अल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरए वडोदरा द्वारा जारी तीन एए के संयोजन के लिए आवेदन किया (मार्च 2019)। यह देखा गया कि तीनों संयोजन किए

गए प्राधिकारों के कुल मूल्य के बजाय केवल एक प्राधिकार में प्राप्त किए गए वीए पर आरए ने ईओडीसी प्रदान किया (मई 2019), जिसके परिणामस्वरूप वीए की कमी ₹ 41.25 करोड़ हो गई। प्राधिकार के संयोजन करने में गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 41.25 लाख की संयोजन फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसी प्रकार, आरए हैदराबाद में मैसर्स एएम लिमिटेड को अनुमत संयोजित प्राधिकारों पर ईओ में कमी के लिए ₹ 13.90 लाख की संयोजन फीस नहीं लगायी गयी। तीन अन्य मामलों में एएच द्वारा मांगे गए विस्तार पर ईओ में कमी के लिए ₹ 20.37 लाख की संयोजन फीस नहीं लगाई गई।

डीजीएफटी ने आरए हैदराबाद के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आरए वडोदरा ने एक मामले में ₹ 11.69 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.2.3 मूल्य वर्धन (वीए) से संबंधित अनियमितताएं

एफटीपी 2015-2020 के पैरा 4.09 (i) के अनुसार, एए के तहत प्राप्त किया जाने वाला एमवीए 15 प्रतिशत है। एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.49 (बी) के अनुसार, यदि वीए न्यूनतम निर्धारण से कम रहता है, तो एएच को भारतीय रुपये में एफओबी मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। परिशिष्ट 4एच के अनुसार, शुल्क मुक्त आयात की खपत और स्टॉक का लेखांकन करने के लिए पंजीकृत या कच्चे माल, घटकों आदि की घरेलू खरीद आदि, एए/डीएफआईए के तहत अनुमेय है। एए (एएनएफ-4एफ) के मोचन के लिए आवेदन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वीए के उद्देश्य से निर्यात का एफओबी मूल्य विदेशी एजेंसी कमीशन, यदि कोई हो, को छोड़कर प्राप्त होगा।

3.2.3.1 एफओबी मूल्य के लिए जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि का गलत मानना

आरए मुंबई के तहत दो एएच ने 100 प्रतिशत ईओयू की आपूर्ति करके तीन एए के संबंध में मात्रा के साथ-साथ मूल्य के संदर्भ में भी ईओ प्राप्त किया। हालांकि यह देखा गया कि एफओबी के प्रति गिने जाने वाले बीजक मूल्यों में आईजीएसटी और कमीशन जैसी अपात्र राशि शामिल थी। अपात्र राशि को छोड़ने के परिणामस्वरूप एफओबी में ₹ 13.59 करोड़ की कमी आई और वसूली योग्य 1 प्रतिशत दंड राशि ₹ 13.59 लाख बनती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए मुंबई को निर्देश दिया गया है कि वसूली प्रभावी होने तक फर्मों को डीईएल में रखा जाए।

3.2.3.2 एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना

सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के लाइसेंस उपयोग आंकड़ों के साथ आरए (अहमदाबाद और वडोदरा) को प्रस्तुत ईओडीसी आवेदन के प्रति सत्यापन से पता चला कि 11 एए के प्रति सभी आयात ईओडीसी आवेदन में घोषित नहीं किए गए थे। एएच ने 147 परेषणों के वास्तविक आयात के प्रति अपने ईओडीसी आवेदनों में 123 आयात परेषण घोषित किए, जिससे उपयोग किए गए सीआईएफ का कम मूल्य दिखाई दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ के आयात को कम बताया गया। आरए इन गैर-घोषित वस्तुओं के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से लाभ प्राप्त छूट की अननुमति देने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

इसी प्रकार की अभ्युक्तियां आरए (चेन्नई और कोयंबटूर) में भी की गई थीं जिनमें 13 एए का मोचन करके ईओडीसी को जारी किया गया था, हालांकि एएच ने निर्यात को प्रभावित करने के लिए वास्तव में आवश्यक मात्रा (एसआईओएन के अनुसार) की तुलना में कम मात्रा में इनपुट का आयात किया था। इसके अलावा, भुगतान किए गए शुल्क या घरेलू स्रोत के सामान (आयात के अलावा) के उपयोग की कोई घोषणा नहीं की गई थी और मोचन फाईल में दिखाई गई वास्तविक खपत (बर्बादी सहित) कम थी। परिशिष्ट 4एच में खपत के पूर्ण विवरण का संकेत न होने से खपत की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है **(अनुलग्नक 5)**।

डीजीएफटी ने आरए अहमदाबाद के संबंध में (फरवरी 2021) कहा था कि सीमा शुल्क संरचनाओं को उनके साथ निष्पादित बांड का निपटान करते समय यह सत्यापित करना होता है। अन्य आरए के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईओडीसी आवेदनों की समीक्षा करते समय क्षेत्राधिकारिक आरए द्वारा कम मात्रा में आयात के पहलू और वे निर्यात दायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं, को सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। क्या किसी गैर-घोषित माल का उपयोग किया गया था, अवैधीकरण का विवरण आदि आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए। एएच द्वारा आयात को कम बताने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

3.2.3.3 निवलता के आधार पर घटकों के आयात पर वीए का गलत अनुमान

इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी की क्रम संख्या 4 के साथ पठित सभी निर्यात उत्पाद समूहों के लिए सामान्य टिप्पणी की क्रम संख्या 6 और नीति परिपत्र 10/2018-19 (जुलाई 2018) के अनुसार, इनपुट के रूप में घटकों का आयात करने की मांग करने वाले आवेदक को बिना किसी अपशिष्ट के निवलता के आधार पर आयात करने की आरए द्वारा अनुमति दी जा सकती है जो आयात के लिए मांगे गए घटकों के जवाबदेही खंड और प्रकार, तकनीकी विनिर्देशों आदि के परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए गए घटकों के अनुरूप होना चाहिए, व निर्यात दस्तावेजों में परिलक्षित होना चाहिए। इस आशय की एक शर्त लाइसेंस पर अंकन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि घटकों की अधिप्राप्ति किसी मानदंड श्रेणी में नहीं आती है, तो आवेदक को चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट या क्षेत्राधिकारिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्यात उत्पाद की एक इकाई के विनिर्माण में आवश्यक सटीक घटकों (आयात और घरेलू दोनों इनपुट) का ब्यौरा देते हुए परिशिष्ट 4ई प्रस्तुत करना होता है।

आरए मुंबई और पुणे ने दो लाइसेंसों के संबंध में केवल आयातित घटकों पर विचार करते हुए वीए का अनुमान लगाया और न कि निर्यात उत्पाद की एक इकाई की आपूर्ति करने के लिए निवलता के आधार पर आवश्यक सभी घटकों पर। आयातित मात्रा एए में लागू मात्रा से कम थी जो संभव नहीं थी क्योंकि एक निर्यात सेट (निवलत के आधार पर जवाबदेही खंड) बनाने के लिए कम से एक घटक की आवश्यकता होती है। शेष मात्रा की अधिप्राप्ति और निर्यात सेट में उपयोग कैसे किया गया, इसकी जांच किए बिना लाइसेंस का मोचन किया गया। 4एच खपत पत्रक और जवाबदेही विवरण भी केवल आयातित वस्तुओं की खपत को दिखाता है जो वास्तविक आवश्यकता से कम थे। सभी एसबी में, आवेदन में आवेदित कुल मात्रा का उल्लेख किया गया था और न कि निर्यात मात्रा में खपत की गई वास्तविक मात्रा को । इसलिए एसबी को सामान्य टिप्पणी और उक्त पॉलिसी सर्कुलर के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। जवाबदेही विवरण में उपयोग की गई इनपुट की मात्रा फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातवार आयात विवरणों से मेल नहीं खाती हैं। इसके अलावा, निर्यात पर ₹ 6.05 करोड़ के भुगतान किए गए आईजीएसटी के प्रतिदाय का दावा किया गया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के बराबर है। इसलिए सभी घटकों (आयातित और घरेलू दोनों) के सीआईएफ/एफओआर मूल्य को केवल आयातित घटकों के बजाय वीए

का अनुमान लगाने के लिए लिया जाना चाहिए था। यदि निर्यात में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद सभी घटकों के सीआईएफ/फ्रेट ऑन रोड (एफओआर) मूल्य को लिया गया होता तो वास्तव में निकाला गया वीए निर्धारित 15 प्रतिशत से काफी कम रहा होता।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ऐसा कोई अधिदेश नहीं है कि फर्म को उत्पाद के विनिर्माण में आवश्यक सभी घटकों का आयात करना होता है। तथापि, आयातित मदों के संदर्भ में उपभोग का ब्यौरा जवाबदेही के लिए प्रस्तुत किया जाना है और वीए के लिए शुल्क भुगतान किए गए इनपुट पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर कोई ड्राबैक नहीं लिया गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जवाबदेही विवरण में केवल आयातित इनपुट का अनुमान है और इसमें घरेलू अधिप्राप्ति का हिसाब में लेने का प्रावधान नहीं है। आरए परिशिष्ट 4एच/4ई के तहत यथापेक्षित निर्यातित मदों के विनिर्माण में वास्तव में उपभोग किए गए सभी इनपुट की घोषणा के लिए जोर नहीं देते हैं।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य पर विचार करने की प्रथा मूल्य वर्धन की पूरी स्थिति नहीं दर्शाती है। घरेलू आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी की राशि पर गलत विचार करना और एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना लेखापरीक्षा में देखा गया जो शुल्क मुक्त आयातों के विपथन के जोखिम के साथ-साथ योजना के दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ है। आरए गैर-घोषित माल के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से प्राप्त छूट को अननुमत करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश संख्या 12 :डीजीएफटी परिशिष्ट 4एच में पूर्ण प्रकटीकरण के लिए जोर दे सकता है जिसमें एएच को "घरेलू अधिप्राप्ति इनपुट और ऐसी अधिप्राप्ति के स्रोत सहित निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में उपभोग की जाने वाली इनपुट के सभी विवरण" की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को सुगम बनाया जा सके जिससे शुल्क मुक्त आयात के विपथन और योजना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

3.2.3.4 सहयोगी संस्था को आपूर्ति पर नकारात्मक वीए

आरए मुंबई द्वारा मैसर्स एएन लिमिटेड को जारी किए गए तीन लाइसेंसों में यह देखा गया कि एएच ने अपनी सहयोगी इकाई, एक निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) को खरीद मूल्य से कम कीमत पर तैयार माल का निर्यात करके नकारात्मक वीए प्राप्त किया। चूंकि ईओयू इकाई निर्यातक की सहयोगी संस्था है, इसलिए खरीद मूल्य से कम होने पर आपूर्ति के मूल्य को आर्मस लैंथ पर नहीं माना जा सकता है। इस कमी को निर्धारित न्यूनतम वीए के मुकाबले कम होने वाले मूल्य पर ₹ 9.51 लाख की राशि की 1 प्रतिशत दंड राशि का भुगतान करके नियमित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, खरीद मूल्य से कम कीमत पर सहयोगी संस्था को इनपुट को विपथित करने की प्रथा से नकारात्मक वीए को जानबूझकर दर्शाया गया था न कि यह वास्तविक चूक थी जिसे केवल 1 प्रतिशत दंड राशि का भुगतान करके नियमित किया जा सकता है। लेखापरीक्षा की राय में निर्यातकों को योजना के तहत शुल्क बचाने के लाभ को चुकाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और योजना के जानबूझकर दुरुपयोग के लिए एफटीडीआर एक्ट के तहत दंड राशि लगायी जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीटीए और ईओयू के ईओ को अलग से माना जाना है क्योंकि दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं और ईओ की अलग-अलग योजनाएं हैं और दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। फर्म से एफओबी मूल्य में 1 प्रतिशत कमी की वसूली करके आरए मुंबई द्वारा नकारात्मक मूल्य वर्धन को नियमित किया गया।

3.2.4 स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न करना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.21 (iii) के संदर्भ में, ईओ के निर्वहन के लिए विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) इकाइयों के निर्यात को ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते भुगतान प्राप्ति सेज इकाई के विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) में हो।

एफसीए में निर्यात प्राप्तियों की वसूली का न होना 84 उदाहरणों में देखा गया जिसमें पांच आरए में ₹ 3.38 करोड़ की राशि का परित्यक्त शुल्क शामिल था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.9: एफसीए में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न होना

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम	9	259.26	सेज इकाइयों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के प्रति मूल्य वर्धन के लिए गिना गया था, भले ही निर्यात प्राप्तियों की आईएनआर में वसूली की गयी और न कि एफसीए में
2	अहमदाबाद	13	79.15	6 एए में सेज और बीआरसी को किया गया निर्यात आईएनआर में हुआ। 3 एसबी में निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं हुई और 4 एसबी में कोई ई-बीआरसी फाइल में या डीजीएफटी की वेबसाइट के ई-बीआरसी मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं था।
3	पुणे	62	-	एसबी वीए के लिए गणना की गई भले ही निर्यात प्राप्तियों की गणना आईएनआर में थी।
कुल		**84**	**338.41**	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आईएनआर में प्राप्त भुगतान ईओ पूर्ति के लिए नहीं लिया जा सकता है और कमी की वसूली करने का आश्वासन दिया। आरए मुंबई को निर्देश दिया गया है कि जब तक वसूली प्रभावी न हो जाए तब तक फर्म को डीईएल में रखा जाए। आरए अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे के संबंध में मामले की जांच की जा रही है।

3.2.5 मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए एएच द्वारा आवेदन दाखिल करना

3.2.5.1 ऑनलाइन फाइलिंग का अभाव और ईओडीसी का निपटान

एचबीपी के पैरा 4.46 में कहा गया है कि एएच एएनएफ-4एफ में ऑनलाइन आवेदन आरए को दाखिल करेगा और मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए ईओ की पूर्ति के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज अपलोड करेगा। डीजीएफटी ने पीएन 55 (मार्च 2014) के द्वारा 1 जून 2014 से प्रभावी एए के लिए इओडीसी/मोचन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की।

हालांकि यह देखा गया कि एएच 1 दिसंबर 2020 तक मोचन/ईओडीसी के लिए आवेदन अभी भी मैनुअल रूप से दाखिल कर रहे थे, जबकि ऑनलाइन आवेदन

लिंक सक्रिय हो गया था। इस प्रकार, मोचन/ईओडीसी के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। ऑनलाइन आवेदन कार्यात्मकता की प्रभावकारिता की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.5.2 एएच द्वारा ईओडीसी आवेदन जमा करने में विलम्ब

एचबीपी के पैरा 4.44 में यह उल्लेखित है कि एएच को देयता अवधि समाप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर निर्यात के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

11 आरए (बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, लुधियाना, पानीपत और विशाखापत्तनम) में ईओपी की समाप्ति से दो माह से अधिक की देरी 193 एए में देखी गई थी जिसमें 5 से 792 दिन तक की देरी हुई थी और आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी **(अनुलग्नक 6)**।

एक मामला सोदाहरण दिया गया है जिसमें मैसर्स एओ को आरए बेंगलुरु द्वारा एए जारी किया गया था (मई 2015) और ईओडीसी/मोचन के लिए प्रस्तुत करने की नियत तिथि जनवरी 2017 तक थी। हालांकि यह देखा गया कि एएच ने 32 माह की देरी के साथ केवल अगस्त 2019 में मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

आरए चेन्नई, हैदराबाद और इंदौर ने बताया (नवंबर 2020) कि सावधानी पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि योजना 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली के साथ कागजरहित हो गई है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, कमियों और उनके उत्तरों को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और डेटा मूल रूप से सीमा शुल्क को हस्तांतरित किया जाएगा जो ईओडीसी को अंतिम रूप देने की निगरानी में मदद करेगा।

इस संबंध में प्रगति को आगामी लेखापरीक्षा में देखा जाएगा।

3.2.6 आरए द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करने के दौरान अनियमितताएं

3.2.6.1 आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने में देरी

एचबीपी 2015-20 के पैरा 9.10 में यह निर्धारित किया गया है कि एए का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मोचन किया जाना है। एमओसीआई ट्रेड नोटिस नंबर 20 (जून 2019) में दोहराया गया कि सभी आरए को समयबद्ध तरीके से और केवल एक ही बार में कमी पत्र (डीएल) देना चाहिए।

17 आरए (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, पानीपत, पुणे, वडोदरा और विशाखापट्टनम) में समीक्षा किए गए 2,242 मामलों में से 546 मामलों (24 प्रतिशत) में 18 से 1,001 दिनों की देरी के साथ ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब देखा गया। अहमदाबाद और वडोदरा में 16 मामलों में, 15 दिनों से अधिक की देरी देखी गई, हालांकि एएच ने आरए द्वारा चिह्नित सभी कमियों का अनुपालन किया। प्रमुख नौ आरए का विश्लेषण ग्राफ में नीचे दिया गया है:

चित्र 3.1: ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब

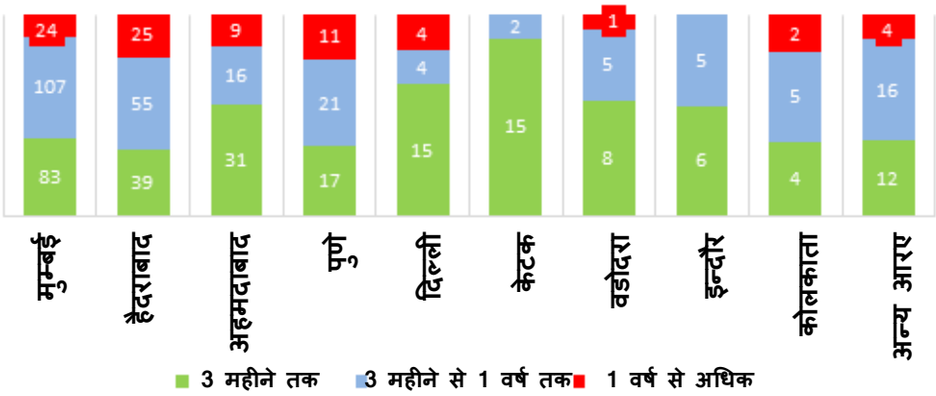

एक मामला सोदाहरण दिया गया है जिसमें आरए बेंगलुरु ने मैसर्स एओ लिमिटेड को एए जारी किया (जनवरी 2018) और एएच द्वारा आवेदित लागू ईओडीसी (अप्रैल 2019) में एक बार में सभी डीएल जारी न होने के कारण पांच माह से अधिक की देरी हो गई। ईओडीसी को आखिरकार अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। यदि प्रारंभिक पूर्व संवीक्षा (अप्रैल 2019) के दौरान सभी कमियों को बताया गया होता और एए की निर्धारित समय-सीमा का फर्म और

आरए दोनों द्वारा पालन किया जाता, तो ईओडीसी के जारी करने में पांच माह से अधिक की अनुचित देरी से बचा जा सकता था।

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। हालांकि मोचन आवेदन ऑनलाइन फाईल किए गए थे, लेकिन बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और एक्सपोर्ट खपत और सर्टिफिकेट जैसे सभी दस्तावेजों को 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मैनुअल रूप से फाईल करना जरूरी था। मोचन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से देरी को कम करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित 15 दिनों के बेंचमार्क को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मुद्दे को सुलझाने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली से ईओडीसी के मुद्दे में देरी के मुद्दे को हल करने की उम्मीद है; तब तक ईओडीसी आवेदनों की केवल हार्ड कॉपी मिलने के बाद ही फाईलों पर कार्रवाई की गई।

सिफारिश संख्या 13: डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करके 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी जारी करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के लिए फिर से बनाया गया है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि eodc.online 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली के साथ कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.6.2 आरए द्वारा अनियमित मोचन

आरए मुंबई ने दो फर्मों (मैसर्स एएन लिमिटेड और मैसर्स एच लिमिटेड) को जारी किए गए तीन एए का मोचन किया, भले ही ईओ को पूरी तरह से मानित निर्यात द्वारा प्राप्त किया गया था। आईजीएसटी छूट का लाभ केवल प्रत्यक्ष

निर्यात और एएच के लिए है, सीमा शुल्क द्वारा आईजीएसटी के उद्ग्रहण से बचने के लिए, घोषणा की कि केवल प्रत्यक्ष निर्यात किया जाएगा। हालांकि, आरए ने गलत घोषणा के आधार पर ₹ 32.80 लाख की आईजीएसटी के अनियमित लाभ के तथ्यों का पता लगाए बिना मामलों का मोचन करते हुए ईओ के प्रति मानित निर्यात को स्वीकार किया, जिसकी ब्याज के साथ वसूली करने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए को निर्देश दिया गया है कि वसूली होने तक फर्मों को डीईएल में रखा जाए।

3.2.6.3 ईओपी के बाद किया गया निर्यात

एचबीपी के पैराग्राफ 2.18 (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि प्राधिकार की निर्यात दायित्व अवधि निर्यात की तारीख को वैध होनी चाहिए। निर्यातक को निर्यात को प्रभावित करने से पहले ईओपी में विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था। इसलिए, बिना किसी विस्तार के प्रभावित निर्यात को आनुपातिक अधिक आयातों पर शुल्क/ब्याज एकत्र करके पैराग्राफ 4.49 के अनुसार अननुमत और नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

ईओडीसी की समीक्षा से पता चला कि छह आरए में 11 एए में एए योजना के तहत अनुमत ईओ अवधि के बाद प्रभावी थे, जो ₹ 8.42 करोड़ के आनुपातिक शुल्क के साथ थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.10: ईओपी के बाद किए गए निर्यात

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त आनुपातिक शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	वडोदरा	3	6.19	137 एसबी में से पांच और दो अन्य एए में निर्धारित ईओ अवधि के बाद निर्यात प्रभावित हुए और एएच द्वारा किसी विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात (मात्रावार और मूल्यवार) की कम पूर्ति हुई। इसके अलावा वीए में कमी के लिए 1 प्रतिशत फीस भी लागू है।
2	अहमदाबाद	2	1.29	एएच ने ईओपी की वैधता के बाद निर्यात को प्रभावित किया और बाद में कार्योत्तर विस्तार के

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त आनुपातिक शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
				लिए आवेदन किया जिसे आरए द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार, मध्यवर्ती अवधि के दौरान ईओ अवधि में किसी विस्तार की मांग किए बिना, निर्यातकों ने अपना निर्यात जारी रखा।
3	कोलकता	2	0.50	ईओपी के बाद प्रभावित आयात छूट के लिए पात्र नहीं थे।
4	जयपुर	1	0.41	आरए ने ईओ अवधि में कार्योत्तर विस्तार प्रदान किया, जो ईओपी के बाद प्रभावित अवैध निर्यातों को अस्वीकार करने के बजाय था।
5	पुणे	1	0.03	अपात्र निर्यात के लिए अधिक आयात का उपयोग किया गया। इसके अलावा, मानित निर्यात दस्तावेजों में प्रत्येक परेषण के लिए आनुपातिक इनपुट खपत को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था और प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित एक सहायक विनिर्माता के माध्यम से निर्यात के तथ्य का एए में समर्थन नहीं किया गया था।
6	बेंगलुरु	2	-	निर्धारित ईओ अवधि के बाद किए गए ₹ 2.49 करोड़ मूल्य वाले निर्यात।
कुल		**11**	**8.42**	

डीजीएफटी ने कहा कि आरए बेंगलुरु ने ₹ 0.70 लाख की वसूली की और ₹ 0.55 लाख की संयोजन फीस की वसूली करने के लिए मांग जारी की। आरए पुणे द्वारा फर्म के विरुद्ध मांग-सह-एससीएन भी जारी किया गया था। आरए जयपुर में, ईओपी को पहले ही अप्रैल 2019 तक बढ़ा दिया गया है और फर्म ने उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्यात को भी प्रभावित किया है। आरए अहमदाबाद के लिए यह कहा गया था कि एचबीपी का पैरा 4.27 निर्यात/मानित निर्यात की आपूर्तियों की अनुमति प्राधिकार जारी करने की प्रत्याशा में या प्राधिकार जारी करने के बाद देता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्यातकों द्वारा निर्यात पूरा होने के बाद ईओ अवधि में कार्योत्तर विस्तार प्रदान करने के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई प्रावधान नहीं है और एचबीपी के पैराग्राफ 2.18 के अनुसार, निर्यात की तारीख को प्राधिकार वैद्ध होना चाहिए। इसके अलावा निर्यातक को निर्यातों को प्रभावित करने से पहले ईओपी के विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था।

3.2.6.4 लदान बीजक में इनपुट का अंकन न करना

एफटीपी के पैरा 4.12 (ii) से (iv) के अनुसार, निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव में उपयोग किए गए/उपभोग किए गए इनपुट का अनुपात एसबी में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा जिसमें मानित निर्यात के प्रति बीजक शामिल हैं और आरए केवल उन्हीं इनपुट की अनुमति देगा जो निर्यात दायित्व के निर्वहन के समय विशेष रूप से एसबी में दर्शाए गए हैं।

निम्नलिखित मामलों में, आरए ने एसबी में अंकन के बिना ईओडीसी जारी किया:

तालिका 3.11: एसबी में इनपुट का अंकन न करना

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की संख्या	टिप्पणियां
1	कोच्चि	1	मैसर्स एल लिमिटेड को जारी किया गया, ईओडीसी यद्यपि एएच ने निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव उपयोग किए गए/उपभोग किए गए इनपुट का संकेत नहीं दिया था, जिसमें एफओबी मूल्य ₹ 11.83 करोड़ शामिल था।
2	अहमदाबाद	2	मैसर्स एपी लिमिटेड को एक एए में ईओडीसी जारी किया गया और अन्य के लिए विस्तार से मना कर दिया, यद्यपि 26 बीई में एसआईओएन/प्राधिकार के अंतर्गत यथा अपेक्षित आयातित इनपुट के बारे में अधूरी सूचना पाई गई थी। हालांकि, आरए द्वारा इस बेमेलता को सत्यापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसमें ₹ 20.69 करोड़ का परित्यक्त शुल्क शामिल है।
3	चेन्नई	3	मैसर्स एक्यू लिमिटेड और मैसर्स एआर लिमिटेड को जारी किए गए पांच एए में ईओडीसी जारी किया गया, हालांकि एएच ने एए में समर्थित की तुलना में भिन्न इनपुट का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप गलत आयात हुआ जिसमें ₹ 3.62 करोड़ का सीमा शुल्क अन्तर्ग्रस्त था।
4	कोयम्बटूर	2	
	कुल	**8**	

डीजीएफटी ने आरए चेन्नई, कोयंबटूर और कोच्चि के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि कार्रवाई शुरू की जा रही है। आरए अहमदाबाद ने कहा कि इस योजना के तहत मंजूरी दिए गए बीई में विशिष्ट प्राधिकार संख्या दी जाती है और अनुमत आयात के समय अनुमत विवरण मात्रा, मूल्य आदि के संबंध में प्राधिकार की सीमा शुल्क जांच करता है। सीए द्वारा जारी परिशिष्ट 4एच भी किए गए निर्यात और उपयोग किए गए इनपुट की पुष्टि करता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसबी में इनपुट के समर्थन की जांच इओडीसी/मोचन जारी करने के दौरान आरए द्वारा की जानी होती है जो प्रक्रिया का अंतिम चरण है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि योजना के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया गया है।

3.2.6.5 उचित अंकन/संशोधन के बिना ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करना

एचबीपी के पैरा 4.39 के अनुसार, आरए सीआईएफ मूल्य, इनपुट की मात्रा, एफओबी मूल्य और एए के निर्यात की मात्रा में वृद्धि/कमी के लिए फार्म एएनएफ-4 डी में अनुरोध पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस तरह की वृद्धि के बाद मूल्य वर्धन अनुबद्ध एमवीए (निर्यात उत्पाद के लिए) से कम नहीं होना चाहिए और इनपुट-आउटपुट मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

आरए हैदराबाद में, प्राधिकार प्रदान करने के समय निर्धारित सीआईएफ और एफओबी मूल्यों की तुलना में कम सीआईएफ/एफओबी मूल्यों के साथ 43 एए का मोचन किया गया था। इन सभी मामलों में, एएच को सीआईएफ या एफओबी मूल्य में कमी हेतु संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध के बिना मोचन की अनुमति दी गई थी। एए का यह कहते हुए मोचन किया गया कि किए गए आयात किए गए निर्यातों के प्रति उसी अनुपात (सीआईएफ और एफओबी के समान) में थे और कि एए के अनुसार अपेक्षित मूल्य वर्धन प्राप्त किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि उपयोग और 15 प्रतिशत वीए के अनुसार लाइसेंस का मोचन किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एएच द्वारा सीआईएफ या एफओबी मूल्य में कमी हेतु संशोधन के लिए किसी अनुरोध के बिना मोचन की अनुमति दी गई थी।

3.2.6.6 मसाला बोर्ड द्वारा एसएआर की प्राप्ति न होने के कारण ईओडीसी जारी करने में देरी

नीति परिपत्र 5 (अगस्त 2014) के अनुसार, मसालों के लिए इनपुट के रूप में जारी एए को मामले को एनसी को संदर्भित किए बिना मसाला बोर्ड, कोच्चि को प्रस्तुत किया जाएगा और संबंधित आरए, मसाला बोर्ड, कोच्चि के एसएआर के

आधार पर एए का मोचन कर सकता है। यह नीति परिपत्र सभी लंबित मामलों के साथ-साथ भविष्य के एए के संबंध में अगस्त 2013 से लागू किया गया था।

आरए कोच्चि में, ₹ 1596.60 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 100 एए मसालों से संबंधित थे जो 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए ₹ 2145.74 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले कुल लंबित 271 एए में से हैं। मसालों से संबंधित चयनित 22 एए की संवीक्षा से मसाला बोर्ड से एसएआर प्राप्त न होने के कारण सभी मामलों में ईओडीसी जारी करने में विलंब का पता चला।

डीजीएफटी ने कहा (नवंबर 2020) कि नीति परिपत्र के पैरा 2 के अनुसार, संबंधित आरए मसाला बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एसएआर के आधार पर एए का मोचन कर सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरए द्वारा एसएआर को इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या ईओडीसी दावे के अनुसार घोषित आय एसएआर के अनुसार आय से अधिक है। यह देखा गया कि 22 में से 18 मामलों में, ईओडीसी आवेदनों के अनुसार आय एसएआर के अनुसार आय से अधिक थी, जैसाकि सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित एएच द्वारा फाईल किए गए परिशिष्ट 4एच से स्पष्ट था। इस प्रकार, आरए के लिए ईओडीसी को जारी करने में देरी करने का कोई कारण नहीं था जब अधिकांश मामलों में, एएनएफ 4एफ आवेदन के अनुसार घोषित आय अधिक पाई गई थी। इस प्रकार, उक्त नीति परिपत्र के मद्देनजर एसएआर की प्राप्ति में देरी के कारण ₹ 453.01 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ 22 एए के मोचन में विलम्ब परिहार्य था और उक्त परिपत्र जारी करने का असली उद्देश्य विफल हो गया, अर्थात मसालों के लिए जारी प्राधिकारों के मोचन में विलम्ब में कमी।

3.2.7 अन्य अनियमितताएं

3.2.7.1 प्राधिकार में उचित अंकन के बिना मदों का निर्यात और डीएल जारी करने में देरी

एचबीपी के पैरा 4.35 में कहा गया है कि आरए द्वारा प्राधिकार में उचित अंकन के साथ एचबीपी के पैराग्राफ 4.10 या जॉबर/सहायक विनिर्माता की शर्त के अधीन एएच की किसी भी इकाई में आयातित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

मैसर्स एएस लिमिटेड ने एए के लिए आवेदन करते समय कहा कि कुछ निर्यात उत्पादों का विनिर्माण सेज, कोचीन में स्थित उनके सहायक विनिर्माता द्वारा किया जाएगा। आरए बेंगलुरु ने सहायक विनिर्माता के संबंध में दो डीएल जारी किए, जिसमें एएच ने सहायक विनिर्माता का नाम हटाने का अनुरोध किया। तदनुसार, आरए ने किसी भी सहायक विनिर्माता अंकन किए बिना एए जारी किया।

फर्म ने ईओडीसी के लिए आवेदन किया (दिसंबर 2018), जिस पर आरए ने डीएल (मार्च 2019) जारी किया कि निर्यात की गई मद एससीओएमईटी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली प्रतीत होती है और यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या एससीओएमईटी मद के निर्यात के लिए आवश्यक अनुमति डीजीएफटी से ली गई थी। डीजीएफटी ने यह भी सूचित किया कि संदर्भ के तहत मद एससीओएमईटी श्रेणी 8ए602 के तहत आ सकती है, और डीजीएफटी से प्राधिकार के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा, यह देखा गया कि एएच ने उक्त नियमों के तहत यथा अपेक्षित किसी भी अंकन के बिना अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) इकाई (सहायक विनिर्माता) के माध्यम से ₹ 19.64 करोड़ का निर्यात किया। मामले को अभी मोचन किया जाना है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सेज नियमावली 2006 के नियम 43 के तहत उप-अनुबंध की अनुमति के लिए फर्म ने डीसी, सीसेज से संपर्क किया है।

उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या डीजीएफटी से प्राधिकार एससीओएमईटी श्रेणी के निर्यात को प्रभावित करने के लिए प्रदान किया गया था। आरए को यह पता लगाने में 14 माह लगे कि क्या निर्यात मद प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत आती है जिसे एए जारी करते समय (फरवरी 2018) सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, सेज प्रावधानों के तहत उप-अनुबंध की अनुमति आरए द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कार्योत्तर ली गयी थी और इसलिए अपेक्षित अंकन के बिना पहले से किए गए निर्यात को अननुमत किया जाना चाहिए था और फर्म को निर्यात उत्पाद में उपयोग किए गए इनपुट पर परित्यक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए था।

अन्य उदाहरणों, जहां आरए ने एए में उचित समर्थन के बिना निर्यात की अनुमति दी, का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

तालिका 3.12: प्राधिकार में गैर-समर्थन

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	टिप्पणियां
1	कोलकाता	7	एएच द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद प्राधिकार में अनुमत किए गए से अलग थे। आरए ने निर्यात उत्पादों में बेमेल का सत्यापन नहीं किया और निर्यात परेषण की पूरी मात्रा के लिए बीडब्ल्यूसी[12] जारी किया। तीन मामलों में, एएच ने घोषणा की कि सेनवेट क्रेडिट की सुविधा ली गई थी और इनपुट की घरेलू अधिप्राप्ति की अनुमति देते हुए बीडब्ल्यूसी जारी करने के बाद आरए द्वारा अवैधीकरण पत्र भी जारी किए गए थे।
2	अहमदाबाद	10	2 एए में एएच द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद प्राधिकार में अनुमत किए गए उत्पादों से भिन्न थे जिसके परिणामस्वरूप आरए द्वारा निर्यात पर गलत विचार किया गया था, जिसमें ₹ 83.93 लाख का परित्यक्त शुल्क था जिसकी वसूली करने की आवश्यकता है। अन्य आठ एए में सीए सर्टिफिकेट में इस बात का उल्लेख नहीं था कि सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है या नहीं। यह भी प्रमाणित किया गया कि निर्यात के बाद आयातित माल का उपयोग शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए किया जाएगा। एक मामले में, सीए ने सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के साथ-साथ लाभ न उठाने दोनों को प्रमाणित किया। आरए ने सीए प्रमाणपत्रों और माल के विपथन की संभावना का विधिवत सत्यापन किए बिना सभी आठ एए में ईओडीसी जारी किया और निर्यात पूरा होने या दोहरे लाभ का फायदा उठाने के बाद इसके आयात के कारण से इनकार नहीं किया जा सकता।
	कुल	17	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि मामले की जांच की जा रही है। आरए अहमदाबाद में दो फर्मों के संबंध में निर्यात किए गए उत्पाद का नाम और विवरण एए के साथ मेल खाते थे।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि निर्यातित उत्पाद (क्लोरपाइरिफॉस तकनीकी 48 प्रतिशत मिन और 'आईटीसी 63051200 के तहत गैर-बुना हुआ कपड़ा') एए में समर्थित उत्पाद (क्लोरपाइरिफॉस तकनीकी 94 प्रतिशत और

[12] बीडब्ल्यूसी बांड छूट प्रमाण-पत्र होता है। जब किसी एएच ने पहले निर्यात किया हो, तब बांड छूट जारी की जाती है क्योंकि उसने पहले ही शर्तों का अनुपालन किया है। परित्यक्त शुल्क की सुरक्षित रखने के लिए बांड लिया जाता है और निर्यात बाध्यता को पूरा न करने की स्थिति में बीजी को निरस्त किया जाता है। जब एएच ने पहले ही निर्यात किया हो, तब बांड अर्थहीन हो जाता है और इसलिए बांड-छूट जारी की जाती है।

आईटीसी एचएस कोड 56031200 के तहत मानव निर्मित फाइबर (पॉलीप्रोपाइलीन) से बने गैर-बुने हुए कपड़े') के साथ मेल नहीं खाता था।

3.2.7.2 ई-बीआरसी के साथ निर्यात लदान बिल/बीजक को लिंक न करना

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.44 (ई) में यह निर्धारित किया गया है कि ई-बीआरसी को ईओ/वसूली की समाप्ति की तारीख या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए निर्धारित समय अवधि से छह माह के अन्दर एसबी के साथ लिंक किया जाएगा।

आरए कोच्चि में मैसर्स एटी लिमिटेड को जारी एए (नवंबर 2015) में यह देखा गया कि केवल ईओडीसी जारी होने के बाद ही डीजीएफटी सिस्टम में एसबी के लिए ई-बीआरसी अपलोड की गई थी। ई-बीआरसी प्रस्तुत न करने के लिए आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह सत्यापित और सुनिश्चित किए बिना ईओडीसी जारी किया गया कि निर्यात प्राप्तियों की वास्तव में वसूली की गई थी।

आरए (कानपुर और पटना) में यह देखा गया कि विमाचेन किए गए सभी 42 मामलों में कोई भी ई-बीआरसी एसबी के साथ लिंक नहीं किया गया। एसबी को एएच द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया था (**अनुलग्नक 7**)।

डीजीएफटी ने आरए कोच्चि के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि फर्म को मांग नोटिस जारी किया गया है और अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है।

3.2.7.3 अवैधीकरण/पुनर्वैधीकरण पत्र जारी करने में देरी

एचबीपी के पैरा 9.10 (xi) के साथ पठित एफटीपी के पैरा 4.20 में एएच से आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों की अवधि के भीतर अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) या अवैधीकरण पत्र के प्रति सीधे आयात के बदले देशी आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट अधिप्राप्त करने की अनुमति दी गयी है। एचबीपी के पैरा 9.10 (vi) के अनुसार, आरए एएच से आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों की अवधि के भीतर ईओपी के प्राधिकार या विस्तार का पुनर्वैधीकरण जारी करेगा।

आरए हैदराबाद में अवैधीकरण पत्र जारी करने में 12 मामलों में तीन दिन से 221 दिन तक की देरी देखी गई। इसी प्रकार, आरए हैदराबाद और विशाखापत्तनम में 29 मामलों में ईओपी के पुनर्वैधीकरण या विस्तार के लिए पत्र जारी करने में तीन से 72 दिनों की देरी देखी गयी।

डीजीएफटी ने आरए हैदराबाद के संबंध में श्रमबल की कमी को विलम्ब का कारण बताया (फरवरी, 2021)।

3.2.7.4 ईओपी के विस्तार के लिए संयोजन फीस का कम संग्रहण होना/संग्रहण न होना

ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस के भुगतान के अधीन ईओपी का विस्तार प्रदान किया जा सकता है।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर, कानपुर और कोलकाता में सात मामलों में ₹ 26.07 लाख की संयोजन फीस का कम संग्रहण होना/संग्रहण न होना देखा गया।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर ने ₹ 3.60 लाख की वसूली सूचित की।

3.2.7.5 अस्वीकार्य ड्राबैक का दावा

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.15 में यह निर्धारित किया गया है कि निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त शुल्क प्रदत्त आयातित या घरेलू इनपुट (मानदंडों में निर्दिष्ट नहीं) के लिए ड्राबैक उपलब्ध होगा, बशर्ते कि आवेदक एए के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त इनपुट के विवरण को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।

आरए कोयंबटूर में मैसर्स एयू लिमिटेड के ईओडीसी आवेदन की समीक्षा से पता चला है कि एएच ने निर्यात के प्रमाण के प्रति प्रस्तुत सभी 95 एसबी में ड्राबैक और अग्रिम लाइसेंस दोनों का दावा किया। यह एचबीपी के पैरा 4.29 के प्रावधानों के उल्लंघन में है और इसलिए इन एसबी को ईओ के उद्देश्य से अपात्र के रूप में माना जाना था। एए का सीआईएफ मूल्य ₹ 8.10 करोड़ था, जिसमें परित्यक्त शुल्क ₹ 1.34 करोड़ शामिल था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एएच गैर-कपड़े मदों के लिए ड्राबैक की सभी उद्योग दर के लिए पात्र है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एएच ने एसबी के अनुसार कपड़े की मदों के लिए ड्राबैक का दावा किया था, और इसलिए इन एसबी को मूल्य वर्धन के लिए अयोग्य माना जाना है।

3.3 योजना के क्रियान्वयन में अंतरविभागीय समन्वय

3.3.1 ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न होना

एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.47 (बी) के अनुसार, ईओडीसी/मोचन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, आरए ईओडीसी की प्रति प्राधिकार के पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अग्रेषित करेगा, जिसमें ईओ की पूर्ति के प्रमाण के विवरण दर्शाए गए हों। डीजीएफटी और सीबीआईसी के बीच एमईएम के तहत ईडीआई के माध्यम से इन्हें संचारित करने की प्रणाली शुरू होने तक आरए द्वारा सीमा शुल्क को भी ईओडीसी की प्रति पृष्ठांकित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आरए जयपुर, कोलकाता पत्तन और एसीसी हैदराबाद में एमईएम कार्यान्वित नहीं हुआ था। आरए कोलकाता, अहमदाबाद और वडोदरा ने सूचना के आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मॉड्यूल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑनलाइन एमईएम के अभाव में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचना का आदान-प्रदान पर्याप्त नहीं था और निम्नलिखित देखा गया:

तालिका 3.13: ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न होना

क्र.सं.	पत्तन का नाम	कुल	स्थिति
1	कोलकाता समुद्री सीमाशुल्क	273	डीजीएफटी से ईओडीसी के प्राप्त न होने के कारण 273 एए दो साल से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित थे।
2	आईसीडी बैंगलुरु	783	डीजीएफटी से ईओडीसी के सूचित न करने के 1070 मामले।
3	एनसीएच मंगलुरु	287	
4	आईसीडी हैदराबाद	20	12 एए में आरए द्वारा सीमा शुल्क को अवैधीकरण सूचित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में इनपुट की अधिप्राप्ति के साथ-साथ पंजीकरण के पत्तन से शुल्क मुक्त उसी इनपुट का आयात करते समय एएच द्वारा दोहरे लाभ का उपयोग किया जा सकता है। अन्य 8 एए में कोई इओडीसी प्राप्त नहीं हुआ।
5	एसीसी हैदराबाद	1	आरए को न दर्शाया गया ₹ 42.01 लाख का आयात
6	दिल्ली	2620	दिल्ली क्षेत्राधिकार (जनवरी 2020) के

क्र.सं.	पत्तन का नाम	कुल	स्थिति
			तहत सीमा शुल्क पत्तनों के मासिक प्रगति रजिस्टर (एमपीआर) के अनुसार, 2620 मामलों में ईओपी खत्म हो गया था। इन मामलों का धनमूल्य सीमा शुल्क से मांगा गया था, जो प्रतीक्षित है।
	कुल	**3984**	

एक प्रभावी ऑनलाइन संदेश विनिमय मॉड्यूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा दी गई ईओडीसी स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तरह डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनमें ईओ की अवधि खत्म हो गई है लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा को न भेजने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने से बांडों के निपटान में विलंब होता है और लम्बन में वृद्धि होती है। सोदाहरण मामलों में सरकारी राजस्व शामिल था; इसलिए एएच को आरए से मोचन पत्र प्राप्त करने और उन्हें सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके और अन्तर्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एए सॉफ्टवेयर आरए को ऐसी पहुंच की अनुमति नहीं देता है। आरए द्वारा ईओ निगरानी पहले ही शुरू की जा चुकी है और नई आईटी प्रणाली से ईओडीसी में देरी के मुद्दे को हल करने की आशा है।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि लंबित प्राधिकारों के संबंध में सीमा शुल्क राजस्व की अधिकतम वसूली के लिए फरवरी-मार्च, 2020 में एक विशेष अभियान चलाया गया था। एमईएम के कार्यान्वयन पर, सीमा शुल्क द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव होगी, जहां ईओ समाप्त हो गई है।

इस संबंध में प्रगति आगामी लेखापरीक्षा में देखी जाएगी।

3.3.2 चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच बेमेलता

आसूचना का आदान-प्रदान करने, दुरुपयोग की जांच करने और ईओ पूर्ति स्थिति जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आरए के साथ त्रैमासिक आधार

पर आवधिक बैठकों के लिए सीमा शुल्क और डीजीएफटी के बीच एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया था ताकि डीओआर निर्देशों (जनवरी 2011) के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा सके।

चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर डीजीएफटी के साथ सीमा शुल्क के डेटा के प्रति-सत्यापन से निम्नलिखित दो पत्तनों में 101 उदाहरणों में विसंगतियों का पता चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.14: चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच बेमेलता

क्र.सं.	पत्तन का नाम	आरए का नाम	मामलों की संख्या	बेमेलता
1	एसीसी मुंबई	मुंबई	15	एसीसी मुंबई ने वित्तीय वर्ष 2005 से वित्तीय वर्ष 2013 तक की अवधि से संबंधित 10 एए का अधिनिर्णय किया। हालांकि, आरए मुंबई के अनुसार, एए अभी भी एससीएन स्तर या पीएच स्तर पर लंबित हैं, और अभी तक अधिनिर्णय नहीं हुआ है और एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार कोई दंड राशि निर्धारित नहीं की गयी है। अन्य पांच एए में, एसीसी मुंबई ने निर्यातकों से ₹ 1.90 करोड़ की शुल्क की मांग करते हुए पांच मामलों का अधिनिर्णय किया। हालांकि, डीजीएफटी की ओर से, ऐसे अधिनिर्णय आदेशों की तारीख से 1.5 वर्ष से 7.5 वर्ष पूर्व इनका पहले ही मोचन किया गया था।
2	जेएनसीएच मुंबई		86	86 एए के संबंध में जेएनसीएच द्वारा जारी किए गए एससीएन अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं, जबकि इन लाइसेंसों का डीजीएफटी की ओर से पहले ही मोचन किया गया था।
	कुल		**101**	

सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई द्वारा मैसर्स एवी लिमिटेड के विरुद्ध ₹ 1.63 करोड़ के शुल्क की मांग करते हुए अधारणीय इकतरफा अधिनिर्णयन आदेश का एक मामला पारित किया गया था, हालांकि एएच ने एए का उपयोग नहीं किया था और सीमा शुल्क विभाग ने स्वयं सितंबर 2015 में एक गैर-उपयोगिता प्रमाण

पत्र जारी किया था, जिसके आधार पर डीजीएफटी कार्यालय ने अभ्यर्पण पत्र जारी किया था (नवंबर 2015)।

यह चूककर्ताओं के विरुद्ध सूचना के आदान-प्रदान और समन्वयित कार्रवाई में दो विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को इंगित करता है। या तो एससीएन जारी नहीं किए गए थे या पहले से जारी किए गए एससीएन को लंबित रखा गया था या आरए की ओर से इसकी तदनुरूपी स्थिति का पता लगाए बिना सीमा शुल्क की ओर से अधिनिर्णय किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी द्वारा भेजे गए ईओडीसी आदेश प्रभावी रूप से सीमा शुल्क तक नहीं पहुंच रहे थे।

यह देखा गया है कि डीजीएफटी ने 'eodc.online' वेबसाइट लॉन्च की है (अप्रैल 2018) जिसमें सीमा शुल्क स्थिति की निगरानी कर सकता है क्योंकि डीजीएफटी निर्यातकों द्वारा फाईल किए गए मोचन आवेदनों पर कार्रवाई की प्रगति को अद्यतन करता है। इसका दो विभागों के बीच कार्रवाई की एकरूपता लाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था।

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि कई मामलों में डीजीएफटी द्वारा eodc.online वेबसाइट अद्यतन नहीं की गई। लाइसेंसधारी न तो मांग नोटिस का उत्तर देते हैं और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होते हैं। सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर और समय देने के बाद भी ईओ की पूर्ति के मुद्दे पर एएच की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए विभाग अधिनिर्णयन के समय अग्रिम प्राधिकारों की वर्तमान स्थिति की जानकारी में असमर्थ है।

सिफारिश संख्या 14: डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी eodc.online वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीजीएफटी और सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच आवधिक बैठकों के निर्देश जारी किए गए हैं (दिसंबर 2020) जिसमें आरए को ईओडीसी की स्थिति का मिलान करने और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए एचबीपी/एफटीपी और एफटीडीआर अधिनियम 1992 में यथा निर्धारित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि यह ऑनलाइन ईओडीसी प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ संपर्क कर रहा है। डीओआर ने उन लंबित प्राधिकारों का विवरण प्रदान करने के लिए डीजीएफटी से अनुरोध किया (मई 2019) जहां ईओ की अवधि खत्म हो गई है और ईओडीसी/मोचन पत्र जारी नहीं किया गया है और क्षेत्रीय संरचनाओं को आवधिक बातचीत के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों से मिली सूचना के अनुसार ऐसी किसी भी बैठक का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। मुंबई कार्यालय ने कहा कि लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए जाने के बाद बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसकी टिप्पणी किए गए अखिल भारतीय मामलों के भारी लंबन के साथ भी पुष्टि होती है। मुख्यालय स्तर पर भी डीजीएफटी और डीओआर के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता है और डीजीएफटी/ डीओआर द्वारा समय-समय पर बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिए जाने/निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.3 निर्यात निष्पादन का पता लगाने और चूककर्ता एएच पर कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र में दोष

सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 16 (मई 2017) में निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एएच को सीमा शुल्क द्वारा सामान्य नोटिस जारी करने का निर्धारण किया गया है। यदि एएच डीजीएफटी को अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करता है और ईओडीसी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है तो इस मामले को स्थगित रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को संस्थागत तंत्र के माध्यम से डीजीएफटी के साथ बातचीत करनी चाहिए। धोखाधड़ी या अपवंचन के मामले में, क्षेत्रीय संरचनाओं को सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

सीमा शुल्क पत्तनों में एए से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.15: कमजोर संस्थागत तंत्र के कारण निर्यात निष्पादन की निगरानी न करना

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	एए की संख्या	टिप्पणियां
1	चेन्नई समुद्री पत्तन और तूतीकोरिन	19	एएच ने 19 एए में निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि ईओपी की अवधि समाप्त हो गई और कोई विस्तार नहीं मांगा गया। इन एए के प्रति ₹ 9.00 करोड़ के परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 50.26 करोड़ का आयात किया गया था। विभाग ने प्रारंभिक मांग पत्र जारी किया लेकिन राजस्व की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई एससीएन जारी नहीं किया गया।
2	हैदराबाद सीमाशुल्क	93	1,343 अमोचित एए में से 93 एए में ₹ 309.67 करोड़ परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 3674.85 करोड़ का आयात किया गया था, भले ही ईओपी समाप्त हो गई थी और कोई निर्यात नहीं हुआ था।
3	जेएनसीएच और एसीसी मुंबई	19	16 एए फाइलों में कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था भले ही ईओपी की अवधि समाप्त होने के बाद एएच ने डीजीएफटी को मोचन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, 15 एए फाइलों के संबंध में डीजीएफटी के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या एएच ने मोचन के लिए डीजीएफटी में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अन्य तीन उदाहरणों में, हालांकि एससीएन जारी किए गए थे, लेकिन छह से 10 वर्षों के लिए अधिनिर्णयन लंबित था।
4	एसीसी बेंगलुरु	328	₹ 80.15 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले 328 एए के संबंध में एससीएन पर अभी अधिनिर्णयन दिया जाना है जिसमें 2 से 10 वर्ष तक की देरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अवरूद्ध हो रहा है।
5	एसीसी मुंबई	42	एससीएन जारी होने की तारीख से 60 से 1145 दिनों के भीतर 42 फाइलों का अधिनिर्णयन किया गया।
6	जेएनसीएच मुंबई	25	अधिनिर्णयन के विवरण के लिए अनुरोध किया गया था, जो अभी प्रतिक्षित है; हालांकि, उपलब्ध डेटा के अनुसार, 72 से 511 दिनों की अवधि के भीतर 25 मामलों में एससीएन का अधिनिर्णय किया गया था।
	कुल	**526**	

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि राजस्व की रक्षा के लिए इकतरफा अधिनिर्णयन किया जा रहा है क्योंकि अधिकतम मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई

में एएच शामिल नहीं हो रहे हैं। एसीसी बेंगलुरु के संबंध में, ₹ 1.28 करोड़ के राजस्व से जुड़े 13 मामलों पर पहले ही अधिनिर्णयन हो चुका है और शेष लंबित एससीएन को शीघ्र निपटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिनिर्णय किया जा रहा है।

चूककर्ताओं के विरुद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा एससीएन जारी न करना और अधिनिर्णयन प्रक्रिया में देरी दोनों विभाग के बीच समन्वय में कमजोरी और निर्यात निष्पादन का पता लगाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली या डीजीएफटी के 'eodc.online' के अप्रभावी उपयोग को इंगित करता है। डीजीएफटी को जारी किए गए एए, एससीएन/डिमांड नोटिस को दिए गए विस्तार के बारे में डीओआर को सूचित करना चाहिए और अपने पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए जिससे सीमा शुल्क द्वारा एक समयबद्ध तरीके में कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके।

निष्कर्ष

लाइसेंस के प्रति प्राधिकार की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना या अतिरिक्त आयात सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल में निगरानी तंत्र में दोष को इंगित करता है। इसके अलावा, बांड के निष्पादन का प्राथमिक उद्देश्य एए योजना में यथा निर्धारित नियमों और क्रियाविधियों का उचित अनुपालन सुरक्षित करना है; यह अनुपालन न करने के मामलों में उचित शुल्क और ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक समर्थक प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआईसी के निर्देशों में यथा निर्धारित समय पर बांडों को रद्द न किए जाने से न केवल वास्तविक एएच की निधियां अवरूद्ध होती हैं बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार को गलत संकेत भी दिया जाता है।

आरए मोचन के लिए दावा करने के लिए एएच पर निर्भर करता है, क्योंकि उन मामलों का पता लगाने के लिए हाल ही में आरए के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं था जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई है। अधिक आयातों की निगरानी न करने, आयात पूर्व शर्तों का अनुपालन न करने और निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के अनुचित विस्तार के उदाहरण देखे गए।

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसे अनुरोध मांगे जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में

निर्दिष्ट है (निर्गम तिथि से 12 माह) और प्राधिकार भी आयात/निर्यात (एचबीपी के पैरा 2.18) की तारीख को वैध होना चाहिए, लेखापरीक्षा की राय में पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर ही विचार किया जाना चाहिए।

आरए परिशिष्ट 4एच/4ई के तहत यथापेक्षित निर्यातित मदों के विनिर्माण में वास्तव में उपभोग किए गए सभी इनपुट की घोषणा के लिए जोर नहीं देते हैं। लेखापरीक्षा की राय है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य पर विचार करने की प्रथा मूल्य वर्धन की पूरी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। देशी आपूर्तियों के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि पर गलत विचार करना और एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना लेखापरीक्षा में देखा गया जो शुल्क मुक्त आयातों के विपथन के जोखिम के साथ-साथ योजना के दुरुपयोग से भरा हुआ है। आरए गैर-घोषित माल के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से प्राप्त छूट को अननुमत करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। हालांकि मोचन आवेदन ऑनलाइन फाइल किए गए थे, लेकिन लेखापरीक्षा 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और एक्सपोर्ट खपत और प्रमाण-पत्र जैसे सभी दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से दाखिल करना जरूरी था। मोचन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से देरी को कम करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित 15 दिनों के बेंचमार्क को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

एक प्रभावी ऑनलाइन मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गई ईओडीसी स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तरह डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनमें ईओ की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा का संप्रेषण न करने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने के परिणामस्वरुप बांडों को बंद करने में विलंब होता है और लंबित मामलों में वृद्धि होती है।

चूककर्ताओं के विरूद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा एससीएन जारी न करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया में देरी दोनों विभागों के बीच समन्वय में कमजोरी और निर्यात निष्पादन का पता लगाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी की ईडी प्रणाली या डीजीएफटी के '*eodc.online*' के अप्रभावी उपयोग को इंगित करता है। डीजीएफटी को एए को प्रदान किए गए विस्तार, जारी किए गए एससीएन/डिमांड नोटिस के बारे में डीओआर को अधिसूचित करना चाहिए और अपने पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए जिससे सीमा शुल्क द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके।

सिफारिशें

9. ***सीबीआईसी उपयुक्त बांड नवीकरण/रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए और ईओडीसी प्रास्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भर होने की आवश्यकता के नियकरण के लिए ईओ अवधि की समाप्ति के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली पर विचार कर सकता है।***

10. ***डीजीएफटी को ईओ के निरन्तर रूप् से और नियमित रूप से मानीटरन के लिए एक प्रभावी तंत्र रखने की आवश्यकता है। अब तक ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी और ईओडीसी प्रास्थिति को सभिनिश्चित करने के लिए आरए एएच पर निर्भर थे। एए के संभावित दुरूपयोग को कम करने के लिए देशी इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी के ईडीआई सिस्टम में वैधीकरण जांचों के होने के आवश्यकता है।***

11. ***डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोधों को केवल प्राधिकार की वैधता अवधि के अन्दर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि निर्यात दायित्व के लिए गणना किए गए कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात प्राधिकार की वैद्धता अवधि के अन्दर हो।***

12. ***डीजीएफटी परिशिष्ट 4 एच में पूर्ण प्रकटन के लिए जोर दे सकता है जिसमें, एएच से "घरेलू अधिप्राप्त इनुपुट सहित निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सभी इनपुट और एसी अधिप्राप्ति के स्रोत के विवरण" घोषित करने की अपेक्षा की गयी है। जो आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को***

सुकर बनाने के लिए है जिससे शुल्क मुक्त आयातों के विपथन और योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

13. *डीजीएफटी को 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी को जारी करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा यह सुनिश्चित करके करनी चाहिए कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के आनलाईन माडयूल को फिर से बनाया गया है।*

14. *डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी eodc.online वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।*